उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

वार्षिक आख्या–2023–24

कार्यालय : निकट नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, देहरादून
फोन/व्हाट्सएप नं. : 8126774374
ई–मेल : women.commission.uk@gmail.com | वेबसाइट : ukscw.org.in
@scw4uk @scw4uk @scw4uk

ले.ज.गुरमीत सिंह
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम
वीएसएम (से.नि.)
राज्यपाल उत्तराखण्ड

राजभवन उत्तराखण्ड
देहरादून–248003
दूरभाषः–0135–2757400
0135–2757403

सत्यमेव जयते

संदेश

मुझे यह जानकार अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग द्वारा वार्षिक-रिपोर्ट वर्ष-2023-24 (स्मारिका) का प्रकाशन किया जा रहा है। मुझे आशा है कि वार्षिक-रिपोर्ट में आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष-2023-24 में किये गए क्रियाकलापों का समावेश होगा।

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकारों व उनकी सुरक्षा हेतु निरन्तर कार्यरत है। वार्षिक-रिपोर्ट के प्रकाशित होने से निःसंदेह आयोग द्वारा वर्षभर किये गए क्रियाकलापों का समावेश होने से आयोग की कार्यप्रणाली पारदर्शी बनी रहेगी। मुझे विश्वास है कि आयोग द्वारा प्रकाशित वार्षिक-रिपोर्ट में महिलाओं से सम्बन्धित सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भी समावेश होगा, जो पाठकों के लिए लाभकारी होगी।

वार्षिक-रिपोर्ट वर्ष-2023-24 (स्मारिका) के सफल प्रकाशन हेतु मेरी बधाई एवं शुभकामनाएं।

गुरमीत

(ले0ज0 गुरमीत सिंह)
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम(से0नि)

पुष्कर सिंह धामी
मा. मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून–248001
सचिवालय फोनः–0135–2716262
0135–2650433
फैक्सः–0135–2712827
विधान सभा फोनः–0135–2665100
0135–2665497
फैक्सः–0135–2666166
Email:–cm-ua@nic.in

संदेश

मुझे यह जानकार अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग द्वारा गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी अपनी "वार्षिक-रिपोर्ट (स्मारिका) वित्तीय वर्ष-2023-24" का प्रकाशन किया जा रहा है। मुझे अवगत कराया गया है कि उक्त स्मारिका में आयोग द्वारा वर्षभर के क्रियाकलापों एवं महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकारों व महिलाओं की सुरक्षा हेतु किये जा रहे विभिन्न कार्यो का समावेश होगा। मुझे आशा है कि आयोग द्वारा प्रकाशित वार्षिक-रिपोर्ट (स्मारिका) वित्तीय-वर्ष-2023-24 में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग द्वारा जनहित में किये जा रहे विभिन्न कार्यो के साथ-साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी समावेश होगा, जो महिलाओं के साथ-साथ पाठकों के लिए भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

मेरी ओर से उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को "वार्षिक-रिपोर्ट (स्मारिका) वित्तीय वर्ष-2023-24" के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें।

(पुष्कर सिंह धामी)
मा. मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड सरकार

रेखा आर्या
मंत्री
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले,
खेल एवं युवा कल्याण, उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार

विधानसभा भवन, उत्तराखण्ड
कक्ष संख्या:– 113
फोन:–0135–2665111
फैक्स:–0135–2665880
मो0:–8395889380

संदेश

मुझे यह जानकार अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 (स्मारिका) का प्रकाशन कर रहा है।

मुझे विश्वास है कि इस स्मारिका में राज्य महिला आयोग के कार्यो सहित महिलाओं की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में सशक्त भागीदारी एवं उनके सर्वागीण उत्थान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों का भी समावेश होगा।

मैं स्मारिका के सफल प्रकाशन की कामना करती हूँ।

(रेखा आर्या)
मा. कैबिनेट मंत्री
उत्तराखण्ड सरकार

कुसुम कण्डवाल
मा0 अध्यक्ष
उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग द्वारा राज्य की महिलाओं के हित में वर्ष 2023-24 में किये गए कार्यों की वार्षिक स्मारिका प्रकाशित की जा रही है।

यह मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखण्ड सरकार के मा. मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मुझे उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में इस महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने का अवसर मिला है। उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग महिलाओं के हित व अधिकारों, राज्य की महिलाओं में नेतृत्व करने की क्षमता का निमाण करने एवं राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कार्यरत है।

आज हमारे देश के यशस्वी मा. प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी व प्रदेश के ऊर्जावान व युवा मा.मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के नेतृत्व में महिलाओं को हर प्रकार से मजबूत किया जा रहा है। इस कड़ी में आयोग भी राज्य की प्रत्येक महिला के संरक्षण हेतु मजबूती से खड़ा है, जिस हेतु आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के जन-जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालायें, शिविर इत्यादी राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आयोजित किये जाते हैं।

(कुसुम कण्डवाल)
मा. अध्यक्ष
उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग गठन

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 616/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 11 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल, ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग विधेयक, 2005 पर दिनांक 9 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 28 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005

(अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 2005)

राज्य महिला आयोग का गठन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ

1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम 2005 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत हो।

परिभाषायें

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों।

(क) 'आयोग' से धारा 3 के अधीन गठित उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अभिप्रेत है।

(ख) 'सदस्य' से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है: और उसके अन्तर्गत सदस्य सचिव भी है।

(ग) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से नागरिकों के ऐसे वर्ग अभिप्रेत हैं जो उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गा के लिए आरक्षण) नियम, 2002 में परिभाषित है।

(घ) 'महिला' के अन्तर्गत बालिका या किशोरी भी है।

राज्य महिला आयोग का गठन

3.(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा।

(2) यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगाः–

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हो, जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की उपाधि किसी विधा में या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होः

(ख) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो उपाध्याय प्रत्येक मण्डल से एक–एक, जिन्हें महिलाओं के उत्थान और कल्याण के कार्य करने का पर्याप्त अनुभव हो, और जिन पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी विधा में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। नाम–निर्दिष्ट उपाध्यक्ष पदो के लिए दो अन्य महिलाओं में से एक महिला सामान्य वर्ग तथा एक आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग) की होगी।

(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट 18 सदस्य, प्रत्येक जनपद में से कम से कम एक, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य किया हो. और जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी विधा में उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होः परन्तु उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगाः।

(घ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य–सचिव, जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न पंक्ति की महिला अधिकारी और जो राज्य की किसी सिविल सेवा, या अखिल भारतीय सेवा की सदस्य हो, या राज्य के अधीन कोई सिविल पद, समुचित अनुभव के साथ धारण करती हो।

महिला आयोग का कार्यक्षेत्र

महिला आयोग का कार्य समाज में महिलाओं के विरूद्ध दुर्व्यवहार, हिंसा, भेदभाव इत्यादि को समाप्त करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु प्रेरित करना है। समाज सृदृढ़ होगा, संवेदनशील होगा, तभी महिलाओं का जीवन सरल होगा। उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न अवसर मिलेंगे। विशेषतौर पर आने वाली भावी पीढ़ी के किशोर/किशोरियों को साथ लेकर व उन्हें प्रेरित, संवेदनशील, जागरूक व कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी का अहसास दिलाते हुए कार्य करना है।

आयोग के कर्तव्यः–

- प्रदेश की महिलाओं को संविधान द्वारा दिये गए अधिकारों के संरक्षण में सहायता प्रदान करना।
- किसी भी स्थान पर महिलाओं का मानसिक, शारीरिक व सामाजिक शोषण तथा भेदभाव रोकना, जिससे वे घर व बाहर निर्भय होकर समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
- लिंग के आधार पर समाज में किये जाने वाले भेदभाव को दूर करना।
- महिलाओं के विकास के लिए कार्यरत विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना व समय–समय पर उनके कार्यों की समीक्षा करना।
- प्रदेशभर में सामाजिक चेतना के लिए वातावरण तैयार कर कन्या भ्रूण हत्या, पालन–पोषण में बालिकाओं की उपेक्षा, दहेज हत्या, छेड़छाड़, बलात्कार, घरेलू हिंसा व बाल विवाह आदि पर रोक लगाना।
- महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत विभाग– पुलिस व राजस्व को महिलाओं के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील करना।
- किशोर/किशोरियों व महिलाओं की सुरक्षा व उन्हें लिंगभेद के प्रति जागरूक करना।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों के संरक्षण पर दिये गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।
- सरकार को महिलाओं के विकास व सुरक्षा हेतु समय–समय पर सुझाव प्रेषित करना।

‘ समान अधिकारों की संरचना पर ही सभ्य समाज की आधारशिला रखी जाती है। ’

आयोग की गतिविधियां

आयोग में पीड़ित महिलाओं द्वारा डाक, ई–मेल एवं व्हाट्स–एप के माध्यम से शिकायती–पत्र प्रेषित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार–पत्र/मीडिया के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आयी घटनाओं पर भी त्वरित कार्यवाही की जाती है। आयोग में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण हेतु उन्हें समुचित विधिक जानकारी/सहयोग प्रदान किया जाता है। महिलाओं को घरेलू, मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न से मुक्ति के लिए पीड़ित महिला व उसके द्वारा की गयी शिकायत में नामित विपक्षीगणों को बुलाकर, उनके मध्य काउंसिलिंग करवाकर उन्हें उचित परामर्श दिया जाता है तथा लगातार वार्ता कर उत्पीड़न के केस अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है। पक्षकारों के मध्य करवाये गए समझौते में यह विशष रूप से ध्यान दिया जाता है कि पीड़ित महिला किसी दबाव के कारण समझौते पर हस्ताक्षर न करें। इसके उपरान्त ही पक्षकारों के मध्य समझौता कराया जाता है। महिला आयोग द्वारा आवश्यकता पड़ने पर स्थलीय निरीक्षण भी किया जाता है। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पक्षकारों द्वारा दिये गए तथ्य सही हैं अथवा नहीं।

आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रकाशित सामाग्रियां जैसेः– फोल्डर/ब्रोशर/पैंप्लेट आदि पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को जानकारी हेतु उपलब्ध करवाये जाते हैं, ताकि महिलाओं द्वारा प्रकाशित सामाग्री का यथा सम्भव लाभ उठाया जा सके। भारत सरकार द्वारा समय–समय पर महिलाओं को पुरूषों के समान दर्जा दिये जाने के लिए विविध अधिनियमों में कई उपलब्ध किये हैं किन्तु आज इतने अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त भी भारतीय समाज में महिलाओं का उत्पीड़न जारी है। नारी की सुरक्षा के तहत महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 से लागू किया गया, इसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव करना है। इसी अनुक्रम में आयोग द्वारा कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न निवारण अधिनियम–2013 विषय पर फोल्डर बनाया गया है। इसके द्वारा विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया गया है। जैसे–कौन इसका शिकार हो सकता है, उत्पीड़न क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं व प्रभावित महिला शिकायत निवारण समिति से सम्पर्क कर सकती है। फोल्डर के माध्यम से यौन–उत्पीड़न के विषय में पूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया गया है। राज्य स्तर व जिला स्तर पर बनाई गयी शिकायत निवारण समितियों का भी पूर्ण विवरण दिया गया है। उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग महिलाओं के मार्गदर्शन के सर्वांगीण विकास व सशक्तिकरण हेतु महिला नीति का प्रारूप प्रकाशित किया गया है, जिसका उद्देश्य समाज में महिलाओं व बालिकाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना व शोषण को समाप्त करना, उनका समग्र विकास करने हेतु वातावरण तैयार करना है। महिला आयोग द्वारा 'महिला नीति' का प्रारूप तैयार कर शासन को सौंप दिया गया है ताकि राज्य में शीघ्र महिला नीति लागू की जा सके।

वर्ष–2023–24

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में उपरोक्त पंजीकृत प्रकरणों के सफलतापूर्वक निस्तारण का कारण मुख्यालय में निरन्तर सुनवाई एवं 13 जनपदों के पुलिस विभाग/जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य विभागों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होना है। मुख्यालय में दर्ज प्रकरणों पर तिथियां नियत करके प्रतिदिन सुनवाई की जाती है तथा पक्षकारों को उचित परामर्श एवं विधि सम्बन्धी जानकारी देकर यथा सम्भव समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। कुछ प्रकरण निस्तारण हेतु शासन को भी प्रेषित किये गए। कुछ प्रकरण आयोग की माननीय उपाध्यक्षगण (गढवाल व कुमाऊँ) द्वारा भी अपने स्तर पर निस्तारित किये जाते हैं।

साथ ही आयोग द्वारा महिलाओं की समस्या व उत्पीड़न पर नियंत्रण के लिए अन्य विभाग विशेषकर पुलिस, न्याय, जिला प्रशासन एवं स्वयं सेवी संगठनों से समन्वय स्थापित करते हुए निरन्तर पत्राचार किया जाता है। आयोग में वर्ष–2023 में दर्ज शिकायतों की संख्या–1769, निस्तारित शिकायतों की संख्या–1471 एवं गतिमान अर्थात शेष शिकायतों की संख्या–298 रही है।

वर्ष–2023–24 में कुल दर्ज प्रकरणों की स्थिति का विवरण

दर्ज प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	गतिमान प्रकरण
1769	1471	298

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में गत 3 वर्षों में शिकायतों का तुलनात्मक विवरण

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग को वर्ष 2021–22 में कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या–1580 थी, जिसमें से कुल निस्तारित–1405 एवं गतिमान–175 हैं। इसके पश्चात वर्ष 2022–23 में कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या–1947 हैं, जिनमें निस्तारित शिकायतें–1879 एवं गतिमान शिकायतें–68 हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023–24 में प्राप्त शिकायतें–1769 है, जिनमें निस्तारित शिकायतों की संख्या–1471 एवं गतिमान शिकायतें–298 हैं। शिकायतों का विवरण निम्नवत चार्ट से समझा जा सकता है।

वर्ष	दर्ज शिकायतें	निस्तारित शिकायतें	गतिमान
2021–22	1580	1405	175
2022–23	1947	1879	68
2023–24	1769	1471	298

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में शिकायतों दर्ज करने के माध्यम

डाक / पत्राचार के माध्यम से – उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, निकट नन्दा की चौकी, सुद्धौवाला, देहरादून – 248007

व्हाट्सएप के माध्यम से – 8126774374

ई–मेल के माध्यम से – women.commission.uk@gmail.com

मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल के माध्यम से

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग को वर्ष 2023–24 में प्राप्त शिकायतों का विवरण

वर्ष 2023–24 में 01 अप्रैल 2023 से वर्तमान तक महिलाओं और किशोरियों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में दर्ज सूचनाओं के आधार पर जनपदवार विवरण

क्र0	विषय	अल्मोडा			बागेश्वर			चम्पावत			चमोली			देहरादून			हरिद्वार			नैनीताल		
	विषय	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान
01	दहेज उत्पीडन			0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	30	30	0	35	25	10	14	13	1
02	दहेज हत्या			0			0			0			0			0			0			0
03	हत्या/ आत्महत्या			0			0	1	1	0			0	4	1	3	1		1	2	2	0
04	बलात्कार			0			0			0			0	2	2	0	4	3	1			0
05	ाारीरिक उत्पीड़न			0			0			0			0	13	13	0	8	6	2	1	1	0
06	मानसिक उत्पीड़न	5	5	0	5	4	1	3	3	0	5	5	0	274	260	14	76	62	14	24	23	1
07	घरेलू हिंसा	6	4	2			0	1	1	0	7	7	0	163	151	12	26	25	1	8	7	1
08	भरण–पोषण	2	2	0	1	1	0			0			0	22	22	0			0	2	2	0
09	सम्पत्ति विवाद			0			0	1	1	0	1	1	0	24	18	6	10	7	3	6	4	2
10	अपहरण			0			0			0			0			0			0			0
11	देह व्यापार			0			0			0			0			0	1	1	0			0
12	नौकरी सम्बन्धी /स्थानान्तरण			0			0			0			0	3	3	0	4	3	1	1	1	0
13	द्वि–विवाह			0	1		1			0	1	1	0	3	2	1			0	1	1	0
14	यौन उत्पीड़न			0			0			0			0	2	2	0	1		1	1		1
15	जानमाल सुरक्षा	5	5	0			0	5	4	1	3	3	0	100	94	6	104	77	27	24	24	0
16	गुमशुदगी	2	2	0			0			0			0	6	5	1	4	3	1	1	1	0
17	बाल विवाह			0			0			0			0			0			0			0
18	पेशंन			0			0			0			0	1	1	0			0	2	1	1
19	झूठे आरोप /मुकदमे			0			0			0			0			0			0	1	1	0
20	अवैध सम्बन्ध			0			0	1	1	0			0	14	14	0	1		1			0
21	आर्थिक उत्पीड़न			0			0			0	2	2	0	9	7	2	1	1	0	4	3	1
22	धोखाधडी	1	1	0			0			0	1		1	30	28	2	14	12	2	6	6	0
23	अश्लील हरकतें /छेडखानी			0			0			0			0	15	14	1	16	14	2	1	1	0
24	तेजाब सम्बन्धी			0			0			0			0			0			0			0
25	अन्य			0			0			0			0	5	5	0	11	4	7	4	4	0
	योग	21	19	2	8	6	2	13	12	1	21	20	1	720	672	48	317	243	74	103	95	8

क्र0	विषय	पौड़ी			पिथौरागढ़			रूद्रप्रयाग			टिहरी			उत्तरकाशी			ऊधमसिंह नगर			अन्य			कुल योग		
	विषय	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान	कुल दर्ज	निस्तारित	गतिमान
01	दहेज उत्पीडन	2	2	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	40	39	1	11	10	1	143	130	13
02	दहेज हत्या			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0
03	हत्या/ आत्महत्या	1	1	0	2	2	0	1	1	0			0			0	2	1	1	2	2	0	16	11	5
04	बलात्कार			0	1	1	0			0			0			0	3	3	0	1		1	11	9	2
05	ाारीरिक उत्पीड़न	3	3	0			0			0	1	1	0			0	5	4	1	1	1	0	32	29	3
06	मानसिक उत्पीड़न	38	35	3	11	10	1	2	2	0	16	16	0	6	6	0	61	55	6	20	20	0	546	506	40
07	घरेलू हिंसा	12	11	1	4	2	2	2	2	0	7	6	1	5	5	0	34	32	2	6	2	4	281	255	26
08	भरण–पोषण	4	3	1	1	1	0	1	1	0	3	3	0			0	4	3	1			0	40	38	2
09	सम्पत्ति विवाद	5	4	1	1	1	0	1	1	0			0	1	1	0	11	7	4	2	1	1	63	46	17
10	अपहरण			0			0			0			0			0	2	1	1	1	1	0	3	2	1
11	देह व्यापार			0			0			0			0			0			0			0	1	1	0
12	नौकरी सम्बन्धी /स्थानान्तरण	2	2	0	1	1	0	1	1	0			0			0	3	1	2			0	15	12	3
13	द्वि–विवाह			0			0			0	1	1	0			0	3	2	1	1	1	0	11	8	3
14	यौन उत्पीड़न			0	1	1	0			0			0			0	1	1	0	1	1	0	7	5	2
15	जानमाल सुरक्षा	10	9	1	4	4	0	2	2	0	4	4	0	5	5	0	94	84	10	17	16	1	377	331	46
16	गुमशुदगी			0			0			0	1	1	0			0	1	1	0	2	2	0	17	15	2
17	बाल विवाह			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0
18	पेशंन	1		1			0			0			0			0			0			0	4	2	2
19	झूठे आरोप /मुकदमे			0			0			0			0			0	1	1	0	2	2	0	4	4	0
20	अवैध सम्बन्ध	2	2	0			0			0			0			0	4	4	0	2	2	0	24	23	1
21	आर्थिक उत्पीड़न			0	2	2	0			0	1		1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	22	18	4
22	धोखाधडी	1	1	0			0			0	1		1			0	18	14	4	6	4	2	78	66	12
23	अश्लील हरकतें /छेडखानी	1	1	0	1		1			0			0	1	1	0	10	10	0	3	3	0	48	44	4
24	तेजाब सम्बन्धी			0			0			0			0			0			0			0	0	0	0
25	अन्य	2	2	0	1	1	0			0	1	1	0			0	2	2	0	1	1	0	27	20	7
	योग	84	76	8	33	29	4	11	11	0	37	34	3	22	22	0	300	266	34	80	70	10	1770	1575	195

वर्ष 2023–24 में प्राप्त शिकायतों का जनपदवार विवरण

क्र0सं0	जनपद	दर्ज प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	शेष
1	देहरादून	720	633	87
2	हरिद्वार	317	215	102
3	पौड़ी गढवाल	84	69	15
4	चमोली	21	20	01
5	टिहरी गढवाल	36	32	04
6	उत्तरकाशी	22	22	00
7	रूद्रप्रयाग	11	10	01
8	अल्मोडा	21	19	02
9	नैनीताल	103	90	13
10	पिथौरागढ़	33	29	04
11	बागेश्वर	08	06	02
12	चम्पावत	13	12	01
13	ऊधमसिंह नगर	300	250	50
14	अन्य राज्य	80	64	16
शिकायतों का योग		1769 (दर्ज)	1297 (निस्तारित)	472 (शेष)

- उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में वर्ष–2023–24 में जनपदवार प्राप्त अधिक शिकायतों की संख्या क्रमशः निम्न प्रकार है।
  - देहरादून–720
  - हरिद्वार–317
  - ऊधमसिंह नगर–300
  - नैनीताल–103
- जिन जनपदों से शिकायतें कम प्राप्त हुई हैं, उनकी संख्या क्रमशः निम्न प्रकार है।
  - बागेश्वर–08,
  - चम्पावत–13
  - रूद्रप्रयाग–11
  - चमोली–21
  - अल्मोडा–21

महिला सुरक्षा हेतु हैल्पलाईन नम्बर

• महिला सहायता	181
• पुलिस व अन्य सहायता	100 / 1090
• पुलिस आपातकालीन हैल्पलाईन	112 / 0135–2716233
• राज्य महिला आयोग	8126774374
• पुलिस एम्बुलेंस	102 / 0135–2620096 / 2659335 / 2653984
• पुलिस मुख्यालय (कण्ट्रोल रूम)	0135–2712685 / 2712231 / 2717300
• अग्नि समन	101 / 0135–2716242
• महिला काउंसिलिंग सैल	0135–2716239
• चाईल्ड हैल्पलाईन	1098
• साईबर हैल्पलाईन	0135–2655900 / 1930
• स्वास्थ्य हैल्पलाईन	108
• महिला हैल्पलाईन	1090 / 112

- महिला सुरक्षा हेतु 'गौरा शक्ति एप'
  (एन्ड्रॉएड मोबाईल के प्ले–स्टोर से डाउनलोड करें)

GAURA SHAKTI
UTTARAKHAND POLICE

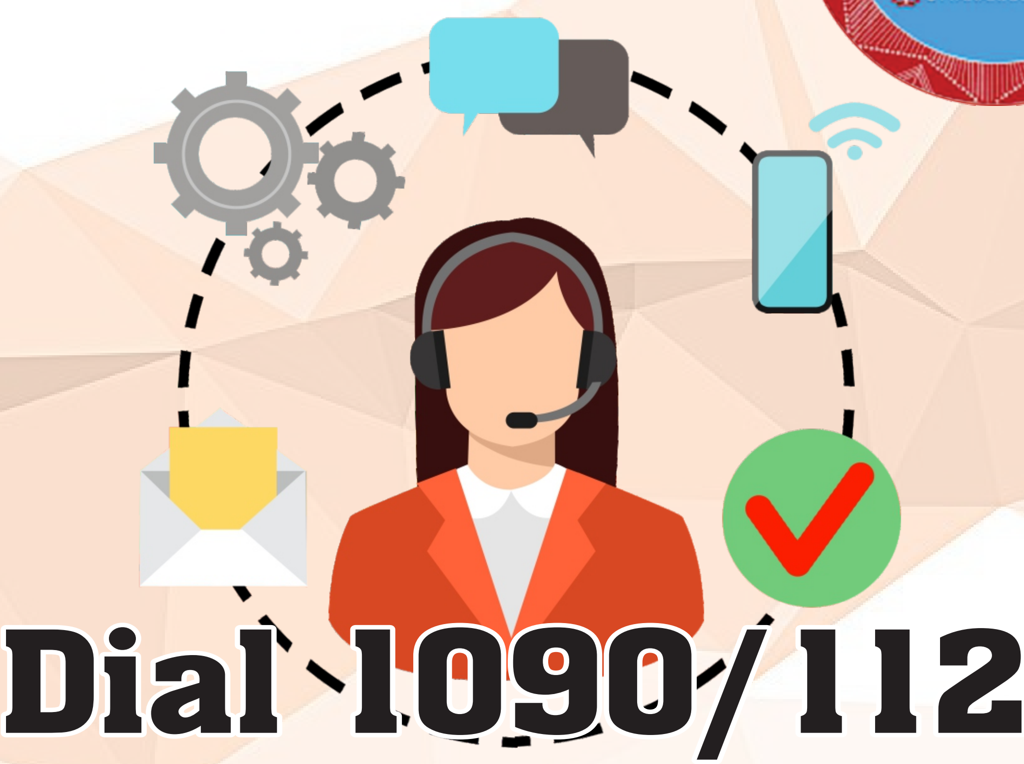

महिला सुरक्षा हेतु कानूनी धारायें:-

विवरण	धाराए
किसी महिला को वस्त्रहीन करने के आशय से उस पर हमला करना	354क
किसी महिला को प्राईवेट कार्य में संलग्न परिस्थिति में देखना या उसका चित्र खींचना	354ग
किसी महिला का पीछा करना	354घ
महिला की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना	313
किसी महिला पर तेजाब से हमला करना	326 ख
किसी महिला का बलात्कार करना	376
पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ शारीरिक—सम्बन्ध बनाना	376 ख
सामूहिक बलात्संग/बलात्कार	376 घ
विवाहित होने का विश्वास दिलाकर महिला के साथ शारीरिक—सम्बन्ध बनाना	493
पति या पत्नी के जीवनकाल/जीवित रहते हुए पुर्नविवाह करना	494
विवाहित होकर भी पुरूष या महिला द्वारा दूसरा विवाह करना	495
विवाहित महिला को बहला—फुसलाकर भगा ले जाना	498
किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना या दहेज के लिए प्रताड़ित करना	498 **A** व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
किसी बालक या बालिका पर प्रवेशन लैंगिक हमला करना	3/4 पोक्सो एक्ट
किसी बालक या बालिका पर लैंगिक हमला करना	7/8 पोक्सो एक्ट
किसी बालक या बालिका का लैंगिक उत्पीड़न करना	11/12 पोक्सा एक्ट
किसी महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जायेगी	46 1(1) सीआरपीसी
किसी महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्योदय से पूर्व नहीं की जायेगी	46 2(4)
किसी स्त्री की तलाशी किसी अन्य स्त्री द्वारा ही ली जायेगी	51 (2)
गिरफ्तार की गयी महिला के शरीर का परीक्षण केवल महिला चिकित्साधिकारी द्वारा ही किया जायेगा	54(1)
गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक निरूद्व न किया जाना	57

विवाह से पूर्व काउंसिलिंग

विवाह से पूर्व काउंसिलिंग क्यों आवश्यक है? यह विषय गम्भीर है। हमारे समाज में आज भी महिलाओं के विरूद्ध बढ़ती हिंसा को रोकने हेतु विभिन्न स्तरों पर जागरूकता शिविर/ सेमिनार/ कार्यशाला इत्यादि का आयोजन किया जाता है। आयोग में प्रतिवर्ष घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न इत्यादि से सम्बन्धित केस प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन आयोग में लगभग 5 से 10 काउंसिलिंग करायी जा रही है, जिनमें पारिवारिक मनमुटाव से सम्बन्धित केस अधिक आते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ केसों में काउंसिलिंग के आधार पर पक्षकारों के मध्य समझौता हो जाता है किन्तु कुछ केसों में पक्षकार समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए कई कानून बनाये गये हैं, जिसके आधार पर समाज को महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार किये जाने हेतु जागरूक किया जाता है। समाज में जब किसी पुरूष व महिला का विवाह किया जाता है, तो सिर्फ वही आपस में नहीं मिलते बल्कि साथ ही उनके परिवारों का भी आपस में मेल–मिलाप व सामंजस्य होना आवश्यक होता है।

एक स्त्री अपने ससुराल में मात्र अपने पति के साथ पारिवारिक सम्बन्ध नहीं बनाती अपितु अपने सास–ससुर, ननद–देवर एवं अन्य सगे–सम्बन्धियों के साथ भी एक मधुर सम्बन्ध कायम करना चाहती है किन्तु आपस में मतभेद अथवा मनभेद होने पर यह सम्बन्ध मधुर होना कठिन हो जाता है। इसलिए जब भी दो परिवार आपस में विवाह बन्धन सम्बन्धी सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सबसे पहले वह एक–दूसरे के विषय में अच्छी तरह जान–पहचान व जाँच–परख कर लें, ताकि उन्हें बाद में परेशानियों का सामना न करना पड़े। यह आवश्यक है कि शादी से पूर्व दो परिवार अपने किसी जान–पहचान के व्यक्ति की मध्यस्थता में यह सम्पर्क स्थापित करें। दोनों परिवार एक–दूसरे की कमियों व खामियों को पहले ही बतायें। जब समाज में किसी परिवार की किसी कन्या का विवाह किया जाता है, तो अपने परिवार में जन्मी व पली–पोषी कन्या अपने प्राकृतिक माहौल को छोड़कर नये परिवार में आ जाती है। प्राकृतिक माहौल में पलते–बढ़ते हुए लगभग–22 या 24 वर्षतक वह कन्या जो अब किसी दूसरे परिवार की बहु बन चुकी होती है, उसने अपनी निजी जीवन की कुछ आदतें व

निजी धारणाएं बनाई होती हैं। वह अपने ढ़ंग से जीवन जीने की आदि हो चुकी होती है। नये माहौल में अपनी इन्हीं कुछ निजी आदतों व धारणाओं में से कुछ को तो उसे ज्यों का त्यों बनाये रखना पड़ता है तथा कुछ को त्यागना भी पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जब कन्या नये परिवार में बहु बन जाती है, तो अगर उसे प्यार, स्नेह, दया, उदारता, लगाव इत्यादि दिया जायेगा तो वह फिक्र अर्थात चिन्ता को छोड़कर स्वयं को नए ढ़ांचे में आसानी से ढाल सकेगी तथा यह ऐसा ढ़ांचा होगा जो उसके जीवन पर्यन्त तक चलता रहेगा। इसके लिए उसे प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। पति का यह कर्तव्य बनता है कि वह किसी भी रिश्ते के बीच में बंधकर न रहे बल्कि रिश्तों को आपस में सामंजस्यपूर्ण तरीके से बनाकर रखे। यह प्रक्रिया स्वाभाविक होना आवश्यक है। प्रत्येक पक्ष से सहयोग एवं इच्छा का प्रदर्शन होना आवश्यक है। अपने—अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करना स्त्री व पुरूष दोनों की जिम्मेदारी होती है। एक—दूसरे के प्रति झुकाव आवश्यक है, ताकि सम्बन्ध आजीवन बने रहें तथा आने वाली पीढ़ी पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े व परिवार के बच्चे अपने बड़े—बुजुर्गों से अच्छे संस्कार ही ग्रहण कर सकें क्योंकि एक स्वस्थ व सफल परिवार ही अच्छे समाज की नींव साबित हो सकता है।

पारिवारिक सामंजस्य हेतु सुझाव

पुरूष प्रधान समाज में हमेशा से ही स्त्रियां स्वयं हेतु पुरूष के बराबर समानता का दावा करने के लिए अपनी आवाज बुलन्द करती रही हैं। स्त्रियों को तरक्की अवश्य करनी चाहिए, फिर चाहे वह पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक किसी भी तरह से हो क्योंकि पुरूशों से भिन्न प्रकृति ने उन्हें जो निश्चित मूल्य प्रदान किये हैं, उनके कारण स्त्रियों को समाज में उचित श्रेय मिलना अत्यन्त आवश्यक है। स्त्री ही है, जो समाज में अधिक प्रभावकारी भूमिका अदा करने में सक्षम है, इसलिए स्त्री का सम्मान जरूरी है। स्त्री अपने गुणों से समाज की सेवा करने में तो सक्षम है ही, इसके साथ ही वह समाज में फैली बुराईयों को भी समाप्त करने में सहायक होती हैं। इस प्रकार स्त्रियों को सामाजिक उत्तरदायित्वों का उचित ढ़ंग से निर्वहन करते हुए समाज की सेवा करने के विशेष गुण प्राप्त हैं। स्त्री व पुरूष कभी भी समाज में एक—दूसरे के पूरक नहीं रहे हैं। बिना स्त्री या बिना पुरूष के मानव जाति या समाज की कल्पना करना ही असम्भव है। आज महिलाओं के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत / सशक्त रखें, तभी वह अपने या परिवार या अन्य कोई भी फैसला निर्भय व दृढ़पूर्वक लेने सम्बन्धी स्वतंत्र हो सकती हैं।

पारिवारिक सुख व एकता ही ऐसी एकमात्र पाठशाला है, जो मनुष्य को सुख व समृद्ध जीवन प्रदान करती है।

विवाह पंजीकरण अधिनियम –2010

बाल विवाह, बहु पत्नी विवाह रोकने के लिए व पति से भरण–पोशण प्राप्त करने के लिए तथा विधवाओं व परित्यक्ताओं का दावे का अधिकार दिलवाने के लिए राज्य में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है।

विवाह के 90 दिन के भीतर निर्धारित फीस जमाकर जिला निबन्धक (रजिस्ट्रार) को विवाह पंजीकरण हेतु धारा 5 व 6 के तहत प्रारूप विवाह पंजीकरण के लिए प्रेषित करना होगा। पंजीकरण के लिए आवश्यक होगा कि लड़की की आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष हो। वर व वधु को अपने नाम, व्यवसाय एवं मूल निवास स्थान सम्बन्धी जानकारियों के साथ सूचनायें रजिस्ट्रार को प्रेषित करनी होगी। साथ ही गवाहों के हस्ताक्षर सहित एक घोषणा–पत्र का भी प्रेषण किया जायेगा, जो विवाह समारोह में उपस्थित रहे हों या वर–वधु को पहचानते हों।

विवाह पंजीकरण अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। नौकरी की तलाश में विवाहोपरान्त पति दूसरे राज्यों या शहरों में लम्बे समय तक रहने के कारण दूसरा विवाह कर लेता है व अपनी पहली पत्नी को बिना किसी नियम, कानून तथा भरण–पोषण दिये छोड़ देता है। यह अधिनियम ऐसी महिलाओं के लिए न्याय के रास्ते खोलता है।

विवाह पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र

1.विवाह	विवाह निमत्रण पत्र (अथवा) मन्दिर / चर्च में विवाह की रसीद (अथवा) विवाह के उत्सव का कोई अन्य प्रमाण
2.निवास	फोटो पहचान पत्र (अथवा) राशन कार्ड (अथवा) ड्राइविंग लाइसेंस (अथवा) पासपोर्ट या वीजा
3.आयु	जन्म प्रमाण पत्र (अथवा) स्कूल / कॉलेज प्रमाण पत्र (अथवा) पासपोर्ट या वीजा
4.गवाह	कम से कम दो गवाह (पहचान पत्र सहित)

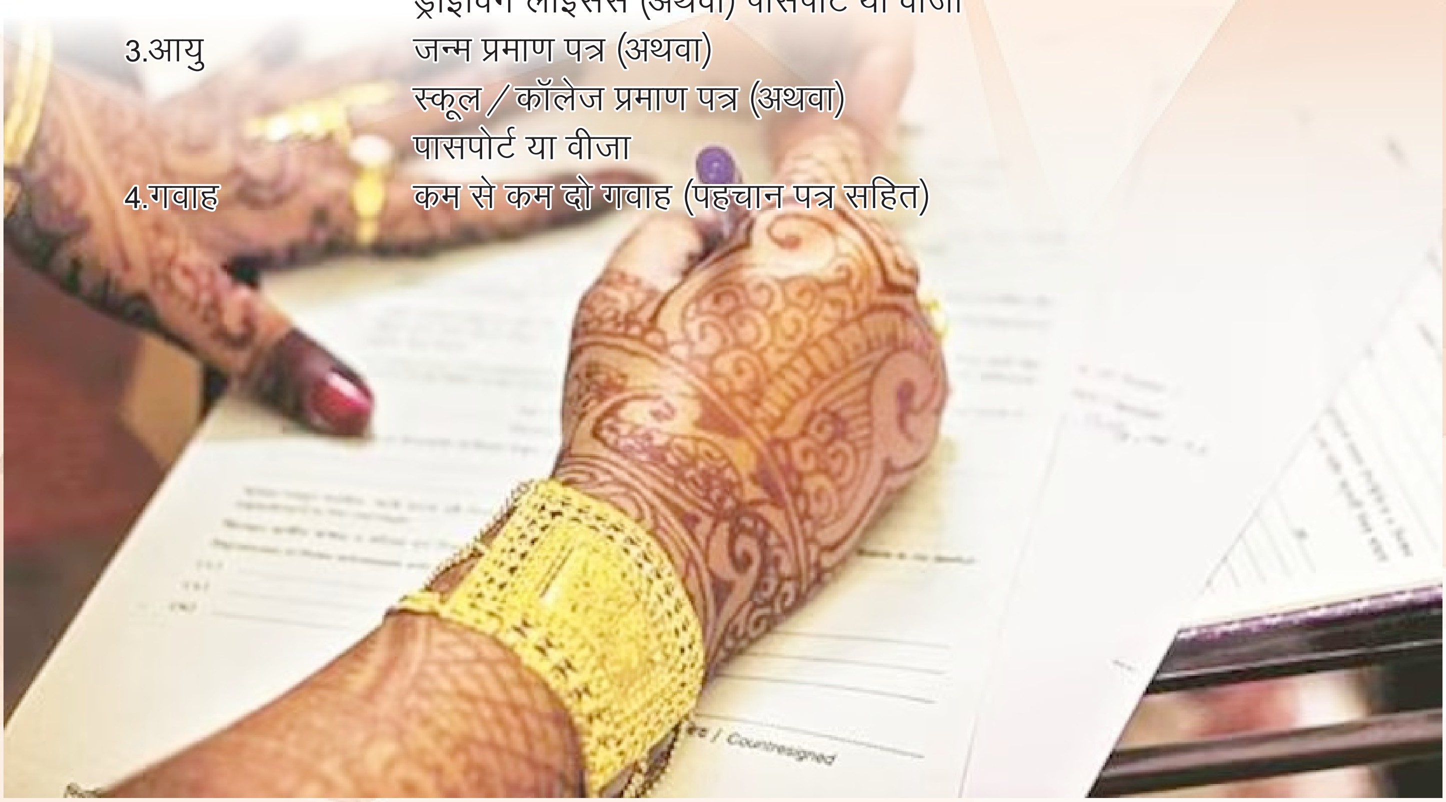

विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका

भारत वर्ष के 75वें गणतंत्र दिवस, ''विकसित भारत और लोकतंत्र – मातृका की पहचान'' को देशभर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कर्तव्य पथ

पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इनैमुअल मैक्रों मुख्य अतिथि थे। वे कर्तव्य पथ पर भारतीय सेनाओं की वीरता, उनके प्रदर्शन एवं झाँकियों में भारतीयता एवं उसके बहुमुखी रुप को समझने और जानने के लिए उत्सुक और आश्चर्यचकित दिखाई दे रहे थे। देसी परंपराओं, नृत्य–गायन एवं अनन्य विरासत को दर्शाती विभिन्न राज्यों की झाँकियों ने सभी विशिष्ट अतिथियों व दर्शकों का मन मोह लिया।

इस बार गणतंत्र दिवस परेड की विशिष्ट बात यह थी कि देश की महिलाओं ने परेड का नेतृत्व किया और साथ ही अपनी आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया और इसे सार्थक करते हुए विभिन्न प्रदेशों की झाँकियों, उन प्रदेशों की खूबियों और महिलाओं के प्रति उनके सम्मान, उनकी जागृति और कर्तव्यनिष्ठा के प्रदर्शन को जन–जन ने स्वीकार किया।

कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर महिला सशक्तीकरण पर केंद्रित 26 झाँकियाँ प्रदर्शित की गई। इन झाँकियों में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका से लेकर महिला वैज्ञानिकों के योगदान की स्पष्ट झलक दिखाई दे रही थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की झाँकी भी देखते ही बनती थी।

हरियाणा की झाँकी में सरकारी कार्यक्रम मेरा परिवार मेरी पहचान के जरिए राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं को डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया। वे 'डिजिटल इंडिया'पहल के जरिए एक 'क्लिक' के साथ सरकारी योजनाओं तक पहुँच सकती है। मध्य प्रदेश की झाँकी में महिला सशक्तिकरण दर्शाती पहली महिला लड़ाकू पायलट, भारतीय वायुसेना (आईएएफ) की अवनी चतुर्वेदी, एक लड़ाकू विमान के मॉडल के साथ खड़ी नजर आई।

छत्तीसगढ़ की झाँकी में बस्तर के आदिवासी समुदायों में महिला प्रभुत्व को दिखाया गया। इसके

कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस 2024 के मौके पर, बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर रूयांगुनुओ कॅसे के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के महिला दस्ते ने पहली बार परेड में भाग लिया। इस दस्ते ने 15 बार बेस्ट मार्चिंग दस्ते का खिताब जीता है।

गणतंत्र दिवस परेड में देश की बेमिसाल ताकत देखने को मिली। इस दौरान मिसाइल, ड्रोन जैमर, निगरानी प्रणाली, वाहन पर लगे मोर्टार और बीएमपी–2 पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों जैसे घरेलू हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। यह पहला मौका था जब तीनों सेनाओं का महिला दस्ता देश के इस सबसे बड़े समारोह में शामिल हुआ। इसके साथ ही पहली बार महिला ताकत को प्रदर्शित करते हुए लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा और प्रियंका सेवदा ने हथियार का पता लगाने वाले श्स्वाति रडार और पिनाका रॉकेट सिस्टम का परेड में नेतृत्व किया।

विभिन्न राज्यों, सेनाओं, विभागों और संगठनों के सहयोग के साथ परेड से शुरु हुई झाँकी प्रदर्शन, नृत्य, गायन, वाद्य यंत्रों, विभिन्न सेनाओं की सैन्य शक्ति, महिलाओं के विभिन्न रुपों की झंकार में संपूर्ण भारत की एकाग्रता आदि समन्वयन की अटूट परंपरा को दशाति हैं। कर्तव्य पथ की परेड और सभी झाँकियों में भारतीय परंपरा, अदम्य साहस, लोक गीतों और उनमें समाहित महिला शक्ति, परिधान, लोक–नृत्यों, सौंदर्य, जीवंतता, कलात्मकता तथा भारत के औद्योगिक विकास, कौशल निर्माण, डिजिटल भारत और जाने क्या–क्या समाहित कर दिया गया था..... अदम्य अलौकिक ।।

मा. अध्यक्ष द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों प्रतिभाग का विवरण

➢ मा0 अध्यक्ष, श्रीमती कुसुम कण्डवाल द्वारा ढालवाला, मुनिकीरेती में **भारतीय ग्रामोत्थान संस्था के सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ऋषिकेश 90 एफ0एम0 के उद्घाटन में प्रतिभाग** किया गया। इस अवसर पर मा0 अध्यक्ष विधानसभा श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी जी भी उपस्थित रही।

➢ मा0 अध्यक्ष, श्रीमती कुसुम कण्डवाल द्वारा **उत्तरांचल प्रेस क्लब, देहरादून में मनवीर कौर चैरीटेबल ट्रस्ट एवं नवग्रह मन्दिर महाकाली सेवा समिति द्वारा बैसाखी के शुभ अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग** किया गया। इस अवसर पर शार्प मैमोरियल स्कूल के दिव्यांग बच्चों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए व तपस्थली नशा मुक्ति केन्द्र को सम्मानित किया गया।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा टिहरी जिले के ग्राम पंचायत–रामपुर, गजा में **महिला पतंजलि योग समिति, ऋषिकेश के द्वारा निःशुल्क योग एवं आयुर्वेद चिकित्सा शिविर कार्यक्रम** का आयोजन किया गया, जिसमें मा0 अध्यक्ष जी द्वारा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा डोईवाला विधानसभा में भानियावाला स्थित सिद्धिविनायक वेडिंग प्वॉइंट वार्ड नं0–10 में **आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के ऐतिहासिक 100 वें संस्करण** को बहनों, विद्यार्थियों एवं स्थानीय जनों के साथ सुना गया।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **पौडी गढवाल के प्रेक्षागृह में आवाह्म संस्था के द्वारा महिलाओं के जीवन की उपलब्धि सम्मान समारोह तथा कीर्तन मण्डली प्रतियोगिता के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि** प्रतिभाग करत करते हुये नारी शक्ति को सम्मानित किया गया।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा देवभूमि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय में **अमर–उजाला द्वारा अमर–उजाला प्रथमा 2023 सम्मान व संवाद कार्यक्रम में बतौर अतिथि प्रतिभाग** किया गया। कार्यक्रम में राज्य की विभिन्न सशक्त नारियों को सम्मानित भी किया गया।

➢ उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग द्वारा तैयार किये जा रहे **उत्तराखण्ड राज्य महिला नीति** के ड्राफ्ट को सीपीपीजीजी, नियोजन विभाग के द्वारा अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में सिविल सेवा संस्थान, देहरादून में **दो दिवसीय संवादात्मक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मा0 अध्यक्ष द्वारा प्रतिभाग** किया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव, श्री हरिचन्द्र सेमवाल जी, डॉ मनोज पन्त जी, कुलपति दून वि0वि0 प्रो0 सुरेखा डंगवाल जी, सुश्री रमिन्द्री मन्द्रवाल जी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व महिला सम्बंधी विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट टीम उपस्थित रही।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा राज्य अतिथि गृह स्थित एन0एक्स0ई0 कार्यालय, देहरादून में **समान नागरिकता संहिता (Uniform Civil Code)** के अन्तर्गत राज्य की **महिलाओं के हित में विशेश प्रावधानों व महिलाओं के अधिकारों को लेकर चर्चा की गयी तथा महत्वपूर्ण सुझाव दिये** गए। इस अवसर पर यू0सी0सी0 कमेटी की मा0 अध्यक्ष, श्रीमती रंजना देसाई, श्री शत्रुघन सिंह, श्रीमती सुरेखा डंगवाल, श्री मनु गौड़ इत्यादि सहित आयोग की सदस्य–सचिव उपस्थित रही।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा महाराष्ट्र सदन, नई दिल्ली में सुदर्शन न्यूज के माध्यम से **माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के 9 साल–मोदी सरकार कार्यक्रम में प्रतिभाग** करते हुए चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य में किये जा रहे सराहनीय कार्यो हेतु आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भारत सरकार के विभिन्न केन्द्रीय राज्य मंत्री भी उपस्थित रहे।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा ऋषिकेश के ढालवाला के भारतीय ग्रामोत्थान संस्था से प्रसारित होने वाले एफएम चैनल, **रेडियो, 90.0 द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग** करते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित महिला सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर संवाद हुआ। जिसमें मा0 अध्यक्ष द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **टिहरी गढवाल के हिण्डोलाखाल ब्लॉक मुख्यालय के बीडीसी सभागार में राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा आयोजित शक्ति जागरण अभियान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग** किया गया। इस अवसर पर महिला मंगल दल, कीर्तन मण्डली व आंगनबाडी की बहनों को विभिन्न प्रकार की सरकारी याजनाओं, घरेलू हिंसा की जानकारी एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **आजादी के अमृत महोत्सव**_के उपलक्ष्य में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग द्वारा **निर्भय भारत–सशक्त नारी** विषय पर महिला सशक्तिकरण हेतु **कानूनी व वित्तीय जागरूकता** के एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देहरादून की रायपुर विधानसभा, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा देहरादून जनपद के **ब्लॉक डोईवाला में पंचायती रूल एण्ड जैण्डर अवेयरनेस ट्रेनिंग संस्थान में आयोजित मानवाधिकार एवं कानूनी जागरूकता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम** में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से महिला ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, महिला वार्ड मेम्बरों, पंचायत अध्यक्षों को आयोग के कार्यों से अवगत कराया एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा देहरादून में **सर्वत्र सेवा फाउण्डेशन द्वारा आयोजित मां भारती के सम्मुख चुनौतियां व निवारण विषय पर राष्ट्र जागरण अभियान संवाद सभा** में प्रसिद्व राष्ट्रवादी वक्ता श्रीमती सुबूही खान जी के साथ उपस्थित रहे।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **श्रीमती पुष्पा वडेरा सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, ढालवाला, टिहरी गढवाल द्वारा आयोजित मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग** किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **राजकीय आदर्श इण्टर कॉलेज, आईडीपीएल, ऋशिकेश के सभागार में कॉलेज की वैबसाईट लॉंच, पुस्तक विमोचन एवं अभिनन्दन कार्यक्रम में प्रतिभाग** किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक व सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सहायक–निदेशक, आई0ए0एस0, डॉ0 हरीश यादव जी सहित अन्य गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **विज्ञान भवन, नई–दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा साईबर सुरक्षा एवं डिजीटल सशक्तिकरण पर केन्द्रित महत्वपूर्ण सेमिनार में मा0 अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग श्रीमती रेखा भार्मा जी के साथ प्रतिभाग** किया गया। इस कार्यक्रम में सुरक्षित डिजिटल परिदृश्य को बढ़ावा देने, ऑनलाईन सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण इत्यादि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा हुई।

➢ देहरादून में उत्तराखण्ड **राज्य महिला आयोग द्वारा हरियाली तीज** के उपलक्ष्य में **महिला मिलन कार्यक्रम** का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के अवसर पर महिलाओं के लिए तीज पर आधारित विभिन्न

सांस्कृतिक कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी व प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज के युग में नारी संस्कृति, संस्कार व परिवार के साथ सशक्तिकरण की राह में आगे बढ रही है। इस सार्थक प्रयास निश्चित रूप से सशक्त नारी, समृद्व समाज की परिकल्पना को साकार करने के प्रति मातृशक्ति की प्रतिबद्धता को परिलक्षित कर रहे हैं। इस अवसर पर माननीय सांसद–टिहरी गढवाल, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी, श्रीमती गीता पुष्कर धामी, माननीय विधायक, श्रीमती सविता कपूर, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष–श्रीमती आशा नौटियाल, श्रीमती दीपा रावत, श्रीमती सुमन उनियाल, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मा0 अध्यक्ष, श्रीमती गीता खन्ना, श्रीमती नीरू देवी, श्रीमती दीप्ति रावत भारद्वाज, दून विश्वविद्यालय की कुलपति, डॉ0 सुरेखा डंगवाल, श्रीमती निर्मला सेमवाल, श्रीमती शोभा उनियाल, श्रीमती हेमा परिवार, आयोग की सदस्य–सचिव, विधि–अधिकारी एवं आयोग के अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल** में **महिला सुरक्षा को लेकर आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम** के समापन के अवसर पर बतौर मुख्य वक्ता रहना हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के अनेक थानों के पुलिस उप–निरीक्षक उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में महिला सुरक्षा को लेकर विभिन्न चर्चाएं हुई।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा पुलिस लाईन, देहरादून में **पुलिस स्मृति दिवस** के उपलक्ष्य में **शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि** अर्पित की गयी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी व राज्यपाल, गोवा, आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, माननीय मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी जी, डीजीपी, श्री अशोक कुमार, सहित अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा देहरादून के जी0टी0सी0 हैलीपैड में भारत की **महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी** का देहरादून आगमन पर हार्दिक **अभिनन्दन व स्वागत किया** गया। इस अवसर पर उत्तराखण्ड के माननीय राज्यपाल जी, लै0जन0 गुरमीत सिंह सहित अन्य विभिन्न महानुभाव भी उपस्थित रहे।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून** में डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड **इन्वेस्टर समिट 2023** में मार्गदर्शन देने आये भारत के **यशस्वी प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का** देवभूमि उत्तराखण्ड आगमन हेतु कार्यक्रम के पश्चात उनका **अभिनन्दन व आभार** व्यक्त किया गया।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा महिला समन्वय, उत्तराखण्ड द्वारा **दृष्टि स्त्री प्रबोधन केन्द्र**, पुणे, महाराष्ट्र के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधि के अन्तर्गत 10, दिसम्बर, मानवाधिकार दिवस के अवसर पर देवभूमि नारी शक्ति संगम कार्यक्रम, हल्द्वानी में महिला कल, आज और कल में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सशक्त महिलाओं को सम्मानित भी किया गया।

➢ सरस्वती विद्या मन्दिर, इण्टर कॉलेज आवास–विकास, ऋषिकेश में गीता जयन्ती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छात्रों द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां दी गयी। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मा0 अध्यक्ष उपस्थित रहीं।

➢ मा0 अध्यक्ष राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, ऋषिकेश के **राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर एन0एस0एस0** के समापन के अवसर पर बालिकाओं से सप्ताह भर की शिविर के अनुभवों के बारे में जानकारी ली गयी। जिसमें बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया।

➢ अन्तर्राष्ट्रीय टाईम मैग्जीन में भारत के ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित फोटोजर्नलिस्ट एवं राकेश सहाय की याद में त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश में आयोजित फोटो एग्जीबिशन कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष बतौर अतिथि उपस्थित रहे।

➢ ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, देहरादूनद्वारा आयोजित **अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें अमृत महोत्सव समारोह में** नूतन–पुरातन कार्यकर्ताओं के साथ सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, श्री प्रफुल्ला आकान्त जी, एन0टी0ए0 के अध्यक्ष, डॉ0 प्रदीप जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा सांसद पौडी, श्री तीरथ सिंह रावत जी सहित अन्य विभिन्न मातृ शक्ति व छात्र–छात्राएं उपस्थित रही।

➢ माननीय अध्यक्ष महोदया, श्रीमती कुसुम कण्डवाल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में अपना दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समस्त सम्मानित पत्रकार बन्धुओं के साथ मिलकर **मीडिया सैण्टर, सचिवालय, देहरादून में पत्रकार वार्ता का आयोजन** कराया गया। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष द्वारा महिला जागरूकता शिविरों, महिला सशक्तिकरण हेतु किये गए कार्यों/अथक प्रयासों को व्यक्त किया गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान कई पत्रकार बन्धुगण उपस्थित रहे।

➢ सरस्वती विद्या मन्दिर, इण्टर कॉलेज, ऋषिकेश में बालिका दिवस पर मा0 अध्यक्ष द्वारा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहते हुए समस्त बालिकाओं का उत्साहवर्धन व मार्गदर्शन करते हुए उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने सम्बन्धी जानकारी दी गयी।

➢ मा0 अध्यक्ष उत्तरांचल प्रेस क्लब, देहरादून में राष्ट्रीय महिला उत्थान एवं नेशनल यूथ फाउण्डेशन द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित रही। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मा0 कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी भी उपस्थित रहे।

➢ उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग कार्यालय में समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण के साथ बैठक लेते हुए उन्हें पीडित महिलाओं के शिकायती पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किये जाने व आगामी कार्यक्रम के आयोजन सम्बन्धी निर्देश दिये गए।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **बाल अधिकार संरक्षण आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला** के प्रथम सत्र में प्रतिभाग किया, इस अवसर पर बाल अधिकारों हेतु तैयार की गई **दो पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम** भी किया गया। इस कार्यशाला में सम्पूर्ण भारत से आये हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों, सदस्य उपस्थित रहे। कार्यशाला में मुख्य अतिथि कैबिनट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी, अति विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी, बाल आयोग की अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना जी, विभिन्न राज्य मंत्री श्री विश्वास डाबर जी, राज्य मंत्री श्री मुकेश कुमार जी, राज्य मंत्री श्रीमती मधुभट्ट जी, पद्मश्री श्रीमती बसंती देवी जी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

➢ आयोग द्वारा **जनपद–रूद्रप्रयाग** में **मानव तस्करी को रोकने सम्बन्धी** विषय पर पुलिस अधीक्षक, सभागार, रूद्रप्रयाग कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन कराया गया। उक्त कार्यशाला में विशेष रूप से **जनपद–चमोली व रूद्रप्रयाग** के विभागों के अधिकारीगण, एण्टी ह्यूमन ट्रफिकिंग यूनिट की टीम द्वारा प्रतिभाग किया गया। आयोग की मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा बताया गया कि आज मानव तस्करी एक गम्भीर समस्या बन चुकी है, जिसमें पहाड़ की नाबालिग लडकियों के साथ ही विवाहित महिलायें भी इसका शिकार बन रही हैं। जिन्हें सूझबूझ व सरकार की कुशल नीतियों के फलस्वरूप समय पर रेस्क्यू भी कर लिया जाता है। इस तस्करी के पीछे आर्थिक तंगी व सही पारिवारिक माहौल न मिल पाना विशेष कारण मात्र हैं। राज्य में संचालित स्पा सैण्टरों, होटलों, रिसॉट्स इत्यादि में मानव–तस्करी के कई केस मिलते हैं। यहां दूसरे राज्यों से युवतियों को लाया जाता है या फिर हमारे राज्य से युवतियों को बाहर भेजा जाता है। इसे रोकने के लिए विभिन्न अधिकारियों द्वारा मंथन करते हुए अपने–अपने विचार व्यक्त किये गए।

➢ **उत्तराखण्ड प्रदेश को प्रथम महिला मुख्य सचिव** मिलने पर मा0 अध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय नेतृत्व एवं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त किया गया। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव, श्रीमती राधा रतूड़ी जी को बनाया गया है। मा0 अध्यक्ष द्वारा **श्रीमती राधा रतूड़ी** का अभिनन्दन करते हुए यह आशा व्यक्त की गयी कि वह प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा करते हुए महिला सशक्तिकरण हेतु आगामी बेहतरीन कार्य करेंगी।

➢ आयोग की मा0 अध्यक्ष ने **राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस** के अवसर पर भारत मंडपम, नई–दिल्ली में आयोजित **कार्यक्रम–संकल्प से सिद्धी** में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा Women-Led-Development को लेकर किये जा रहे प्रयासों एवं उपलब्धियों पर चर्चा की गयी। केन्द्र में ऐसी सरकार है, जो न्याय के केन्द्र बिन्दु में महिलाओं को रखकर नए कानून बना रही है। भारत का अमृत काल निश्चित रूप से नारी शक्ति के लिए अत्यन्त विशेष सिद्ध हो रहा है। जल, थल, नभ व अंतरिक्ष में अपना साहस दिखाने वाली हमारी बेटियों के सामर्थ्य व शक्ति का पूरा विश्व साक्षी है। इस अवसर पर माननीय महिला एवं बाल विकास केन्द्रीय मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष, श्रीमती रेखा शर्मा जी, केन्द्रीय राज्यमंत्री, डॉ0 महेन्द्र मुंजपुरा जी सहित कई महानुभाव उपस्थित रहे।

➢ नगर निगम, ऋषिकेश के प्रांगण में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे विकास को समर्पित **विकसित भारत संकल्प यात्रा** के अन्तर्गत आयोजित शिविर में मा0 अध्यक्ष द्वारा प्रतिभाग करते हुए **लाभार्थियों को केन्द्र सरकार की योजनाओं की सविस्तार जानकारी उपलब्ध करायी** गयी।

➢ चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौर, हरिद्वार में कार्यक्रम– **यौन उत्पीड़न जागरूकता एवं रोकथाम द्वि–दिवसीय सेमिनार में मा0 अध्यक्ष द्वारा बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग** किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न निवारण समिति–2013 के सम्बन्ध में भी जानकारी उपलब्ध करायी गई।

➢ देहरादून में अदिति शर्मा (ट्रांसजैण्डर) द्वारा स्वरोजगार के तहत निवाला प्यार का–फूड वैन की शुरूवात की गयी। इस अवसर पर मा0 अध्यक्ष के करकमलों से उनके फूड वैन का शुभारम्भ किया गया।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा ऋषिकेश के **कुनाऊँ, यमकेश्वर, पौडी गढवाल की बहनों के सखी स्वयं सहायता समूह** द्वारा मशरूम, अचार, गुलाब जूस इत्यादि के उत्पादन हेतु खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रशिक्षण लेकर बहनों के लघु उद्यम का शुभारम्भ मा0 अध्यक्ष द्वारा किया गया। इस अवसर पर समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र वितरित किये गए तथा सरकार द्वारा समूहों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के विषय में चर्चा की गयी।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के मुख्यालय रूद्रपुर, के नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम **नारी शक्ति सम्मान समारोह** में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया गया। मा0 अध्यक्ष द्वारा प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए यह बताया गया कि आज केन्द्र व राज्य सरकार के सफल नेतृत्व में महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकता मिल रही है। आज हमारे राज्य की महिला शक्ति आत्मनिर्भर हो रही है। उन्होंने कहा कि आज मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं एवं राज्य के मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी महिलाओं की सुरक्षा व उनके सशक्तिकरण के प्रति अत्यन्त संवेदनशील हैं। कार्यक्रम के दौरान मा0 अध्यक्ष जी द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करते हुए 5 महिलाओं को महालक्ष्मी किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर 6 शिशुओं का अन्नप्राशन भी कराया गया। कार्यक्रम के दौरान मा0 अध्यक्ष द्वारा 5 महिला बी0एल0ओ0 को श्रेष्ठ कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्तियों को निष्पक्ष व बिना लालच के मतदान करने के लिए भी शपथ दिलाई गयी।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **चम्पावत में जनपद स्तर के विभागीय अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक ली** तथा सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के हित में जारी योजनाओं को धरातल पर सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में मा0 अध्यक्ष द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं की स्तिथि एवम विभागों द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों की जानकारी भी ली गयी।

➢ देहरादून में अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मा0 अध्यक्ष द्वारा बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर विभिन्न महिला व कलाकारों को सम्मानित भी किया गया।

➢ वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून द्वारा पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका विषय पर आयोजित सेमिनार में मा0 अध्यक्ष द्वारा बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया गया। सेमिनार में विभिन्न महिला वैज्ञानिक व कर्मचारियों के साथ सीधा संवाद करते हुए उन्हें आयोग द्वारा महिला हित व अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया गया। इस अवसर पर एफआरआई की निदेशक, डॉ0 रेनू सिंह, प्रधानाचार्य केन्द्रीय राज्य वन अकादमी श्रीमती मीनाक्षी जोशी, डॉ0 मनीशा थपलियाल, डॉ0 पारूल कोटियाल सहित मातृशक्ति उपस्थित रहीं।

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सशक्त नारी समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन आईआरडीटी सभागार, सर्वेचौक, देहरादून में आयोजित कराया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती बीना गिरी, सीडीपीओ, बाल विकास विभाग, देहरादून द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग करते हुए आयोग व सम्मानित होने वाली महिलाओं को शुभकामनाएं हेतु हुए यह बताया गया कि इस प्रकार के कार्यक्रम और अभियान समाज के सभी पहलुओं पर विविधता व सशक्तिकरण के महत्व पर जोर देते हुए लैंगिक समानता हासिल करने में समावेशन की महत्वूपर्ण भूमिका को भी रेखांकित करते हैं। कैबिनेट मंत्री, श्री सुबोध उनियाल जी, आयोग की माननीय अध्यक्ष, श्रीमती कुसुम कण्डवाल, राज्यमंत्री श्री मधु भट्ट, राज्यमंत्री विनोद उनियाल, श्रीमती आशा नौटियाल, नेहा जोशी इत्यादि गणमान्य अतिथिगण द्वारा द्वीप–प्रज्जवलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम का आरम्भ मांगल गीत व गणेश–वन्दना से किया गया। महिलाएं परिवार की रीढ हैं। आयोग की माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि आयोग घरेलू हिंसा के मामलों का समाधान करने के अलावा, महिला अधिकारों की रक्षा व जागरूकता के लिए कार्यरत है। साथ ही

विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को आगे लाकर उन्हें सम्मानित

करने का कार्य भी कर रहा है, जिससे उनका उत्साहवर्धन हो। कार्यक्रम के दौरान संध्या जोशी की टीम द्वारा द्रोपदी नाटक के मंचन की प्रस्तुति दी गयी।

कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 13 महिला, जिनमें शिक्षा के क्षेत्र में डॉ0 सुरेखा डंगवाल, कुलपति, दून विश्वविद्यालय क्षेत्र–शिक्षा, डॉ0 रीमा पन्त, प्रौद्योगिकी व अध्यात्मिक शिक्षा एवं प्रो0 रेनू प्रकाश, महिला सुरक्षा क्षेत्र में डीआईजी पी0 रेणुका, पत्रकारिता के क्षेत्र में कंचन नेगी एवं कृष्णा रावत डोभाल, सामाजिक क्षेत्र में साधना शर्मा व रमा गोयल, कला एवं नाटक मंचन के क्षेत्र में वसुंधरा नेगी, लोकनृत्य के क्षेत्र में सृष्टि भारद्वाज, महिला उद्यमी व स्वरोजगार के क्षेत्र में अदिति शर्मा, ट्रासवूमन, महिला उद्यमी समूह स्वावलम्बन क्षेत्र में श्रीमती हेमा परिहार एवं जैविक कृषि के क्षेत्र में श्रीमती सुमन चौहान को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती राज रावत, श्रीमती सरोजनी कैन्त्यूरा, पूर्व उपाध्यक्ष, श्रीमती शायरा बानो, पूर्व सदस्य–सचिव, श्रीमती सुजाता, श्रीमती आशा रानी ध्यानी, श्रीमती रमिन्द्री मन्द्रवाल एवं श्रीमती कामिनी गुप्ता को भी सम्मानित किया गया। सदस्य–सचिव, श्रीमती उर्वशी चौहान द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथिगणों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। उक्त कार्यक्रम में आयोग के समस्त कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा उद्यमी महिला कल्याण समिति के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर बडोवाला, प्रेमनगर, देहरादून में विभिन्न मातृशक्ति को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के सहयोग द्वारा युवतियों को सिलाई मशीन व राशन भी उपलब्ध कराया गया।

मा0 अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कण्डवाल द्वारा किये गये औचक निरीक्षण

➢ मा0 अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कण्डवाल द्वारा आयोग की सदस्य–सचिव, श्रीमती कामिनी गुप्ता एवं विधि–अधिकारी, श्री दयाराम सिंह के साथ **जिला कारागार, सुद्धौवाला देहरादून** का औचक निरीक्षण किया गया। जिला कारागार, देहरादून में महिला बन्दियों के लिए सैनेट्री पैड वेन्डिंग मशीन, स्वास्थ्य जांच, शौचालय, स्वच्छता आदि मिलने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस अवसर पर डीआईजी कारागार व सदस्य–सचिव, महिला आयोग सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोलाखाल, टिहरी गढवाल का औचक निरीक्षण** कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद संसाधनों चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाईयों इत्यादि की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गयी। मा0 अध्यक्ष द्वारा मौके पर डिप्टी सीएमओ को सीएचसी परिसर की स्वच्छता के लिए स्टॉक की पूर्ति व स्वास्थ्य सम्बन्धित जांच के लिए खराब पडी मशीनों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये गए।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **दून अस्पताल में जच्चा–बच्चा वार्ड** में औचक निरिक्षण कर महिलाओं का हालचाल जाना गया। इस दौरान मा0 अध्यक्ष ने भर्ती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओ का जायजा भी लिया।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **उप–कारागार, हल्द्वानी, नैनीताल का निरीक्षण** किया गया, जिसमें महिला कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं व व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। महिला कैदियों को स्वरोजगार से जोडते हुए उन्हें मिलने वाले प्रशिक्षण की जानकारी ली गयी। इस अवसर पर महिला बैरक में पौधारोपण भी किया गया।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **जिला कारागार–रोशनाबाद, हरिद्वार का निरीक्षण** किया गया। उनके द्वारा कारागार में रह रही महिला कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली गयी। निरीक्षण के दौरान मा0 अध्यक्ष द्वारा महिला केदियों की समस्याओं को भी सुना गया। कारागार में उन्होंने महिला कैदियों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक, श्री मनोज आर्या द्वारा बताया गया कि कारागार के महिला बैरक में वर्तमान में 73 महिला कैदी रह रही हैं। मा0 अध्यक्ष जी द्वारा महिला कैदियों से रूबरू होते हुए यह बताया कि मेरा उद्देश्य महिला कैदियों की समस्याओं को सुनना है, ताकि हम हर सम्भव यह प्रयास करें कि इन समस्याओं का निराकरण किस तरह हो सके। मा0 अध्यक्ष जी द्वारा महिला कैदियों को स्वरोजगार से जोडने हेतु भी प्रेरित किया गया, ताकि महिलाएं जेल से छूटने के बाद स्वयं अपना स्वरोजगार खोलकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। उन्होंने महिला कैदियों के 6 वर्श से कम के बच्चों को जेल में ही शिक्षा व अन्य मूलभूत सुविधाओं को दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। मा0 अध्यक्ष जी द्वारा कारागार की अन्य सुविधाएं देखकर सन्तुष्टता जताई गयी। निरीक्षण के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी सहित जेल के अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा **कोतवाली–हल्द्वानी के सभागार में वनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिस कर्मियों का हाल जाना।** इस दौरान हिंसा में घायल महिला पुलिस कर्मियों के साथ हुई बर्बरता के बारे में घायल महिला पुलिस कर्मियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल से घटना की विस्तृत जानकारी ली गयी। इस हिंसा को फैलाने एवं आगजनी करने वालों को किसी भी कीमत पर छोडा नहीं जाना चाहिए, इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि महिलाओं व बच्चों को हथियार बनाकर जो अराजक तत्व धर्म की आड में देवभूमि को दूषित करने का काम कर रहे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल, उप–जिलाधिकारी, हल्द्वानी, अपर–निदेशक प्रशिक्षण निदेशालय, हल्द्वानी ऋचा सिंह, सीओ सिटी, घटना के जांच अधिकारी सहित विभिन्न पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा चम्पावत जनपद मुख्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक व वन स्टॉप सैण्टर के निरीक्षण के पश्चात विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में सूचना अधिकारी के साथ पत्रकारों को सम्बोधित किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख, श्रीमती विनीता उपस्थित रही।

➢ मा0 अध्यक्ष द्वारा जनपद टिहरी–गढ़वाल के कीर्तिनगर में थाना–कीर्तिनगर का निरीक्षण किया तथा वहां पर महिला हेल्प डेस्क में महिला संबंधी शिकायतों के ब्यौरा लिया तथा पुलिस के अधिकारियों को नजदीकी विद्यालयों व कॉलेज में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष परमेंद्र पवार, आशा पैन्यूली सहित मातृ शक्ति उपस्थित रहीं।

मा. उपाध्यक्ष, श्रीमती ज्योति (साह) मिश्रा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किये गये कार्यों का विवरण

➢ मा0 उपाध्यक्ष द्वारा लोक चेतना मंच के माध्यम से मजखाली में महिला अधिकारों हेतु जागरूकता सम्बन्धी गोष्ठी की गयी। मौके पर महिलाओं को अधिकारों की जानकारी दी गयी एवं गोष्ठी में बागेश्वर, चमोली, हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ, अल्मोडा एवं चम्पावत इत्यादि जिलों की महिला मंगल दल की महिलाएं उपस्थित रही।

➢ कालिका स्टेट, रानीखेत में आयोजित प्रथम जय मां कालिका, बॉलीबॉल टूर्नामेन्ट का मा0उपाध्यक्ष द्वारा उद्घाटन किया गया। उनके द्वारा सम्बोधित करते हुए यह बताया गया कि इस प्रकार की खेल प्रतियोगितायें क्षेत्र में युवाओं एवं खेल प्रेमियों को एक नई दिशा मिलेगी।

➢ मा0 उपाध्यक्ष द्वारा भारतीय विद्या भवन, नई–दिल्ली में जी–20 के उद्देश्यों को पूरा करते हुए डाईवर्सिटी, इंक्लूशन, म्युचुअल रेस्पेक्ट विषय पर हुई रैली व संगोष्ठी में प्रतिभाग किया। जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग, ग्राम के अन्तिम व्यक्ति को परिवार मानते हुए कैसे उसे मुख्यधारा से जोडा जाये। खासकर आदिवासी समूहों, दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं आदि प्रमुख हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रीय राज्य मंत्री, मीनाक्षी लेखी जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ।

➢ सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोडा में मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मा0उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में उप–कुलपति, प्रोफेसर श्री जगत सिंह बिष्ट जी, पदमश्री, श्रीमती बसंती देवी जी, विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय प्रोफेसर, श्री भीमा मनराल, कुल–सचिव, इला बिष्ट, पिंक सी फाउण्डेशन की को–फाउण्डर, शालिनी गुप्ता, परिसर निदेशक, प्रवीण सिंह बिष्ट, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर इलासा, पूर्व विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग, श्री जी0एस0नयाल, सोच संस्था के अध्यक्ष श्री आशीष पन्त, राहुल जोशी इत्यादि उपस्थित रहे।

➢ मा0 उपाध्यक्ष द्वारा कसार देवी में महिला उद्यमियों द्वारा आयोजित **कार्यक्रम ईकोज ऑफ कसार** में प्रतिभाग करते हुए महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

➢ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री जयदत्त वेला, राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत में ग्रीष्म महोत्सव, आरम्भ में मर्कयाक कार्यक्रम में मा0 उपाध्यक्ष द्वारा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। महाविद्यालय में सैनेट्री पैड डिस्ट्रॉय मशीन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, लैंगित समानता एवं नारी शिक्षा पर विशेश बल दिया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रोफेसर, तड़ीखेत एवं छात्रसंघ अन्य छात्र–छात्राओं सहित समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

➢ जी–20 के तहत लक्ष्मण सिंह महर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ में उत्तराखण्ड में महिलाओं की प्रभावी भूमिका पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में मा0 उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान महिलाओं को शैक्षिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। वहीं उत्तराखण्ड की महिलाओं द्वारा सशक्त भूमिका पर भी जोर दिया गया। सेमिनार में मौजूद महिलाओं व अन्य लोगों को बताया गया कि जब तक हम अपने आप में, परिवार, समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक महिला सशक्तिकरण का नारा सार्थक नहीं होगा।

➢ मा0 उपाध्यक्ष द्वारा रानीखेत क्लब में महिला उमंग उत्पादक संगठन की वार्षिक आम सभा का शुभारम्भ किया गया। उन्होंने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए यह बताया गया कि पहाड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ महिलाओं ने आज अपने को साबित करके दिखाया है। महिला समूहों के जरिए लगातार आत्मनिर्भर हो रही है। कई महिलाओं ने मिशाल कायम कर राज्य में ही नहीं बल्कि देश में भी अपना नाम रोशन किया है। पहाड में काम करने वालों के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। महिला समूह बनाकर महिलाएं सिलाई, कढाई, बुनाई, मधुमक्खी पालन, फल उत्पादन, जैविक खेती, पशुपालन आदि स्वरोजगार कर रही हैं। कईं महिलाएं ऐपण, पिरूल, चीड के बकेट, ताम्र शिल्प इत्यादि पर भी कार्य कर रही हैं।

➢ पण्डित मदन मोहन उपाध्याय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट में प्रतिभाग करते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, देहरादून द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यशाला में मा0 उपाध्यक्ष द्वारा महिलाओं एवं युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया।

➢ हरेला पर्व के तहत अपनी धरोहर संस्था के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तहसील परिसर द्वाराहाट में मा0उपाध्यक्ष द्वारा वृक्षारोपण किया गया। तदोपरान्त उनके द्वारा नगर पंचायत, द्वाराहाट सभागार में क्षेत्र के युवा उद्यमियों को सम्मानित किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि हरियाली का प्रतीक हरेला उत्सव को हमें घर तक ही सीमित न रखकर बंजर धरती का भी श्रृंगार करना चाहिए, जिससे प्राणदायिनी ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो सके।

➢ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक संस्थान थापला, गनियाद्योली, रानीखेत में विशाखा समिति की मासिक बैठक में बतौर मा0उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया तथा कार्यस्थल पर शोषण, उत्पीडन को रोकने के लिए बने आन्तरिक परिवाद समिति के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।

➢ अल्मोडा स्थित राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज में सोच संस्था के माध्यम से मासिक धर्म को लेकर समाज में फैली भ्रान्तियों को दूर करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मा0 उपाध्यक्ष द्वारा बालिकाओं को जागरूक किया गया। बालिकाओं से मासिक धर्म पर खुलकर बोलने को प्रेरित किया गया। आज उत्तराखण्ड के काशीपुर शहर में रहने वाली बेटी रागिनी की तरह सोच बनानी होगी। उसने समाज की वर्जनाओं को तोड अपने पहले पीरियड्स को सेलिब्रेट किया और केक काटा गया।

➢ राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम के तहत ब्लॉक–एकेश्वर में मा0 उपाध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर महिलाओं को जागरूक किया गया।

➢ अन्नपूर्णा आ0स्वा0सहकारिता, गोपेश्वर में मा0 उपाध्यक्ष द्वारा बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए सहकारिता के अन्तर्गत समूहों की महिलाओं के साथ बैठक कर महिलाओं द्वारा की जा रही गतिविधियों पर चर्चा की गयी। आजीविका गतिविधियों के माध्यम से होने वाली आय की भी जानकारी ली गयी। महिलाओं को उनके अधिकारों एवं घरेलू हिंसा से बचाव हेतु कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी दी गयी। साथ ही महिलाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली गयी।

➢ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आयोजित स्वच्छता सेवा अभियान के तहत प्रधान निदेशालय रक्षा संपदा मध्य कमान लखनऊ व छावनी परिशद, लखनऊ के माध्यम से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत अभियान चलाया गया। इस दौरान मा0 उपाध्यक्ष द्वारा लखनऊ महानगर की सडकों पर स्वच्छता अभियान में भाग लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में छावनी परिशद कमान की प्रधान निदेशक, भावना सिंह, डायरेक्टर डीएन यादव सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सभी ने स्वच्छता का संकल्प लिया।

मा. उपाध्यक्ष, श्रीमती ज्योति (साह) मिश्रा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किये गये निरिक्षण

➢ मा0 उपाध्यक्ष द्वारा अल्मोडा स्थित हिमाद्री हंस हैंडलूम उद्योग डीनापानी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान महिला अधिकारों की सुरक्षा को लेकर विशाखा गाईडलाईन के अनुसार आन्तरिक समिति बनाने पर जोर दिया गया। महिलाओं से सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु बताया गया। उन्हें यह भी अवगत कराया कि यदि उन्हें किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या कहीं समस्या आती है, तो वह आयोग से सम्पर्क कर सकती हैं। उन्हें हर सम्भव मदद दी जायेगी।

➢ मा0 उपाध्यक्ष द्वारा जिला कारागार, अल्मोडा का निरीक्षण कर महिला कैदियों की समस्याएं सुनी गयी। कारागार में हो रही समस्याओं के बारे में कारागार अधीक्षक, श्री जयंत पांगती से विस्तार में चर्चा की गयी। जेल वार्ड में सोलर हीटर की व्यवस्था शीघ्र किये जाने को लेकर उरेडा विभाग के उच्चाधिकारीगण से बातचीत की गयी। कारागार के कैदियों द्वारा स्वरोजगार हेतु किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया तथा उन्हें स्वरोजगार को बढाया देने हेतु हर सम्भव सहायता प्रदान किये जाने सम्बन्धी आश्वासन दिया गया।

➢ मा0 उपाध्यक्ष द्वारा अल्मोडा जनपद के धौला देवी ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी विद्यालय, चलेठी का औचक निरीक्षण किया गया। विद्यालय में अध्ययनरत 96 बालिकाओं से बातचीत करते हुए उनकी परेशानियों के बारे में पूछा गया। स्थिति सन्तोषजनक पाई गयी।

➢ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान, थापला, गन्यादोली, रानीखेत, अल्मोडा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समस्त व्यवस्थाएं दुरूस्त पाई गयी।

➢ हरिद्वार जनपद के बदादराबाद ब्लॉक स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय, रानीमाजरा का औचक निरीक्षण किया गया। विद्यालय में छात्राओं द्वारा अनुपयोगी सामाग्री से निर्मित विभिन्न प्रकार के सामान को देखकर मन गदगद/प्रसन्न हुआ। छात्रावास की वार्डन एवं स्टाफ द्वारा काफी सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं। बच्चों को तकनीकी युग में जो प्रेरणाएं दी जा रही हैं, वह वास्तविक तौर पर सराहनीय है।

➢ बागेश्वर भ्रमण के दौरान राजकीय वृद्ध अशक्त गृह व राजकीय बालिका आश्रम पद्वति विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया एवं वहां उपस्थित बालिकाओं व वृद्धों की समस्याएं सुनी गयी।

➢ हल्द्वानी स्थित नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में 120 बच्चों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। बच्चों के कमरे, कीचन एवं शौचालय का निरीक्षण कर साफ–सफाई रखने के निर्देश दिये।

➢ उत्तराखण्ड में महिलाओं की आईकन बन चुकी एसिड़ अटैक सर्वाइवर कविता बिष्ट के रामनगर स्थित 'Kavita's Women Support Home' का निरीक्षण किया गया। वहां पर एसिड अटैक, यौन–उत्पीड़न, घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में कविता बिष्ट उत्तराखण्ड सहित सम्पूर्ण देश में महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी हैं। कविता को उनके उज्ज्वल भविष्य की अधिक शुभकामनाएं।

➢ रूद्रपुर में श्री दुधिया बाबा कन्या छात्रावास का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां पर अध्ययनरत 150 बालिकाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी गयी। बच्चों के कमरे, कीचन, शौचालय का निरीक्षण कर स्वच्छता के निर्देश दिये गए। बच्चों की काउंसिलिंग कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी।

मा0 उपाध्यक्ष, श्रीमती शायरा बानो द्वारा अपने कार्यकाल के द्वौरान किये गए कार्यों का विवरण

➢ अमरावती, नागपुर, महाराष्ट्र में भारतीय विश्वविद्यालय अमरावती में डॉ0 वी0एम0पेशवे सोशल रिसर्च संस्थान अल्पसंख्यक महिलाओं एवं मानवाधिकार पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, उपाध्यक्ष, श्रीमती शायरा बानो एवं अन्य अतिथिगण द्वारा प्रतिभाग किया गया।

➢ मा0 उपाध्यक्ष द्वारा सरवर खेड़ा, काशीपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के मध्य जाकर महिला सशक्तिकरण को बढाया दिया एवं बूथ प्रभारियों से वर्तमान स्थिति का विवरण एवं निरीक्षण किया गया।

➢ ग्राम–टीला, जसपुर में सूर्या फाउण्डेशन आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत लघु व्यक्तित्व विकास शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मा0 उपाध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

➢ मजरा खड़कपुर, देवीपुरा निवासी–राजेश की पत्नी की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाने के उपरान्त दिवंगत बेटी के मायके ग्राम–नवलपुर, जसपुर में मा0 उपाध्यक्ष द्वारा उनके निवास पर जाकर उनके पिता एवं परिजनों से मिलकर उनके दुख को साझा किया गया एवं उन्हें हर सम्भव मदद का आश्वासन दिया गया।

➢ विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर परिवर्तन **Be The Change** सोशल वेलफेयर सोसायटी की तरफ से गौतमी हाईटस, काशीपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मा0 उपाध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में संस्थापक, श्रीमती पूनम मंझरिया, श्रीराम मेहरोत्रा, विधायक काशीपुर श्री त्रिलोक सिंह चीमा भी उपस्थित रहे।

➢ मा0उपाध्यक्ष द्वारा जन मिलन केन्द्र, नई–बस्ती, हल्द्वानी में जिला महिला सम्मेलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया।

➢ मा0 उपाध्यक्ष द्वारा बावरखेडा, काशीपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।

मा. उपाध्यक्ष, श्रीमती शायरा बानो द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किये गये निरिक्षण

➢ मा0 उपाध्यक्ष द्वारा पानी फैक्ट्र रमपुरा, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर का निरीक्षण किया गया, जिसमें महिला कार्मिकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी गयी।

➢ मा0 उपाध्यक्ष द्वारा एल0डी0 भट्ट सरकारी अस्पताल, काशीपुर का निरीक्षण किया गया। अस्पताल में भर्ती महिलाओं से वार्ता करते हुए उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेते हुए उनकी समस्याएं सुनी गयी।

➢ मा0उपाध्यक्ष द्वारा ब्लू पाईन ग्लास फैक्ट्री, राजपुताना रोड, काशीपुर का निरीक्षण करते हुए वहां की स्थिति की जानकारी ली गयी एवं महिलाओं से भी बातचीत की गयी।

➢ मा0 उपाध्यक्षा द्वारा जी0बी0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में सुभाष भवन, छात्रावास का निरीक्षण करते हुए वहां पर रह रही महिलाओं की समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें हर सम्भव सहायता प्रदान किये जाने का भी

➢ मा0 उपाध्यक्ष द्वारा नरोला, मसाला फैक्ट्री, सैनिक कॉलोनी–प्रतापपुर, काशीपुर का निरीक्षण करते हुए वहां पर कार्यरत महिला वर्करों से मिलकर उनके कार्यों का जायज़ा लेते हुए उनकी समस्याओं को सुना गया।

➢ मा0 उपाध्यक्ष द्वारा अपैक्स अन्तर्राष्ट्रीय ब्रश फैक्ट्री महुवाखेडागंज, काशीपुर का निरीक्षण करते हुए वहां कार्यरत महिला कार्मिकों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना गया।

- मा0 उपाध्यक्ष द्वारा बाल विकास परियोजना, रूद्रपुर कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। विभाग द्वारा महिलाओं के हितों हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली गयी।

- मा0 उपाध्यक्ष द्वारा कौशल अकादमी अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कानिया, रामनगर नैनीताल में मदर डे के अवसर पर एक प्रोग्राम में प्रतिभाग किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी, भावना बिष्ट जी, और आदि शिक्षक गण मौजूद रहे।

आयोग द्वारा निस्तारित कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण

(1) शिकायत संख्या–165/2023–24

शिकायतकर्ता श्रीमती सीता (काल्पनिक नाम), निवासी–तूनवाला, देहरादून।
विपक्षी सोहन (काल्पनिक नाम), निवासी–सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
विषयः– भरण–पोषण।

संक्षिप्त विवरणः– शिकायतकर्ता श्रीमती सीता द्वारा एक शिकायती प्रार्थना–पत्र माह–मई, 2023 को इस आषय का आयोग में प्रेषित किया गया है कि मेरी शादी विपक्षी से वर्ष–2006 में हुई थी। हमारे दो बच्चे हैं। विपक्षी द्वारा शादी के बाद से ही मेरे साथ मारपीट व गाली–गलौच की गयी। वर्ष–2016 में हम पक्षों के मध्य कुछ विवाद हुआ था, जिसके पश्चात विपक्षी मेरे पति द्वारा मुझे दोनों बच्चों सहित मेरे मायके में छोड दिया गया था। विपक्षी मेरे पति ने मुझे व मेरे दोनों बच्चों को कोई भरण–पोषण नहीं दिया था। वर्ष–2019 में मुझे व बच्चों को छोड़कर मेरे पति कहीं चले गये थे। विपक्षी वर्ष–2021 में पुनः घर आये किन्तु हमारा आपस में किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ। पिछले छः वर्षों से हमारा आपस में किसी प्रकार का कोई सम्पर्क/सम्बन्ध नहीं रहा तथा विपक्षी मेरे पति ने हमारा घर भी बेच दिया था।

प्रकरण के सम्बन्ध में आयोग द्वारा पक्षकारों को काउंसिलिंग हेतु बुलाया गया। पक्षकारों के मध्य काउंसिलिंग कराई गयी, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता अपनी पत्नी व अपने दोनों बच्चों के भरण–पोषण हेतु प्रतिमाह रू0 10,000/– दिये जाने सम्बन्धी कथन किये गए। शिकायतकर्ता द्वारा भी रू0 10,000/– प्रतिमाह धनराशि लिये जाने सम्बन्धी सहमति जताई गयी। तब से विपक्षी शिकायतकर्ता अपनी पत्नी व बच्चों को भरण–पोषण सम्बन्धी उक्त धनराशि अदा की जा रही है। उपरोक्त समझौते के अनुरूप आयोग स्तर से पत्रावली निस्तारित की गयी।

(2) शिकायत संख्या–419 / 2023–24

शिकायतकर्ता श्रीमती बबीता (काल्पनिक नाम), निवासी–नत्थनपुर, देहरादून।

विपक्षी वी0एल0सी0सी0कम्पनी, निवासी–राजपुर रोड, देहरादून।

विषयः–शारीरिक एवं आर्थिक उत्पीडन।

संक्षिप्त विवरणः– शिकायतकर्ता श्रीमती बबीता द्वारा एक शिकायती प्रार्थना–पत्र माह–जून, 2023 को इस आषय का आयोग में प्रेषित किया गया है कि मैं वर्ष–2021 में वी0एल0सी0सी0, राजपुर रोड, देहरादून स्थित कम्पनी में अपना वजन कम कराने गयी थी। उस दौरान मेरा वजन लगभग 85 किलो था, जिस पर उन्होंने परामर्श दिया कि हम आपका वजन लगभग एक वर्ष के अन्तराल में 25 किलो कम करा देंगे। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि वजन कम होने के दौरान आपकी त्वचा भी ढ़ीली पड़ जायेगी, जिसके लिए आपको एप्लीकेटर लेना पडेगा। एक एप्लीकेटर की कीमत रू0 75,000 / – थी। इस तरह मुझे कम्पनी द्वारा कुल 8 एप्लीकेटर लेने सम्बन्धी परामर्श दिया गया था। मैं कम्पनी की बातों से सहमत थी तथा मैंने कम्पनी को कुल 8 एप्लीकेटर लेने सम्बन्धी धनराशि रू0 2,50,000 / – अदा कर दी। कम्पनी द्वारा मुझे इंजैक्शन दिये जाते थे तथा मेरा बोटॉक्स ट्रीटमेन्ट किया जाता था। मैंने कम्पनी को उनके कहने पर मेरे ट्रीटमेन्ट हेतु कुल रू0 15 / – लाख का भुगतान किया था। इसके बावजूद भी मेरे शरीर को काफी पहुँच गया। विपक्षी से मुझे उपरोक्त धनराशि वापस दिलवायी जाये एवं कम्पनी अपनी गलती को स्वीकार करें।

प्रकरण के सम्बन्ध में आयोग द्वारा पक्षकारों को काउंसिलिंग हेतु बुलाया गया। पक्षकारों के मध्य काउंसिलिंग कराई गयी, जिसके उपरान्त विपक्षी वी0एल0सी0सी0 कम्पनी की ओर से उनकी सैक्टर हैड उपस्थित रही। जिन्होंने यह बताया कि हमारे द्वारा शिकायतकर्ता को पी0आर0पी0 थैरेपी दी गयी थी, जिसके पश्चात इनके चेहरे पर जलन व खुजली की समस्या हो गयी थी। कम्पनी की ओर से शिकायतकर्ता का वेट–लॉस प्रोसीजर शुरू किया गया था, जिसके बाद इनका 5 किलो वजन कम हो गया था। वर्ष–2021–22 में इन्हें कोविड हो गया था। कम्पनी के पैनल में डॉक्टर विजिट पर आते थे। शिकायतकर्ता द्वारा हमारी कम्पनी को लगभग रू0 12,91,000 / –(रूपए बारह लाख इक्यानवे हजार) का भुगतान कियाथा। जैसे–जैसे इनका भुगतान होता था, इनके फोन पर मैसेज पहुँच जाता था। शिकायतकर्ता हमें डरा–धमका रही हैं। इन्होंने हमें रू0 25 / – लाख (रूपए पच्चीस लाख) वापस करने की बात की है जबकि इनके द्वारा हमारी कम्पनी को मात्र रू0 12,91,000 / –(रूपए बारह लाख इक्यानवे हजार) का ही भुगतान किया गया है। पक्षकारों के मध्य काउंसिलिंग के उपरान्त उन्हें आपस में समझौता करने सम्बन्धी परामर्श दिया गया, जिसके उपरान्त विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को रू0 08 / –लाख (रूपए आठ लाख) धनराशि का भुगतान किये जाने सम्बन्धी सहमति जताई गयी, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उक्त धनराशि विपक्षी से लेने एवं अपने प्रकरण पर आगे कार्यवाही न किये जाने सम्बन्धी अनुरोध किया गया। प्रकरण पक्षकार के मध्य आपसी सहमति से हुए समझौते के फलस्वरूप निस्तारित किया गया।

(3) शिकायत संख्या–1753 / 2023–24

शिकायतकर्ता श्रीमती कु0 रविना (काल्पनिक नाम), निवासी–नारायणबगड़, चमोली।

विपक्षी श्री रोहन (काल्पनिक नाम), निवासी–देहरादून।

विषयः–मानसिक व आर्थिक।

संक्षिप्त विवरणः– शिकायतकर्ता कु0 रविना द्वारा एक शिकायती प्रार्थना–पत्र माह–मार्च, 2024 को इस आशय का आयोग में प्रेषित किया गया है कि मैं 21 वर्षीय चमोली की निवासी हूँ। विपक्षी श्री रोहन नौकरी दिलवाने का कार्य करते हैं। विपक्षी ने रू0 12,000 / – प्रतिमाह वेतन पर मुझे श्रीमती रोहिता के घर में घरेलू काम करने के लिए भेजा था। श्रीमती रोहिता के साथ उनका पुत्र भी रहता था, जो अधिकतर घर से बाहर ही रहता था। श्रीमती रोहिता आंटी घर पर अकेली रहती थी। उनका व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं रहता था, वह आये दिन काम को लेकर मेरे साथ गाली–गलौच करती थी। एक दिन उन्होंने मेरे ऊपर रू0 100 / – चोरी करने का आरोप भी लगा दिया जबकि रू0 100 / – उनके बिस्तर के नीचे मिले। मैं उनके घर का पूरा घरेलू काम करती थी। इसके बावजूद भी श्रीमती रोहिता आंटी मेरे साथ अपशब्दों का प्रयोग करती थी। एक दिन उन्होंने गुस्से में मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने यह बात विपक्षी श्री रोहन को बताई किन्तु इन्होंने भी मेरा साथ न देते हुए मुझे उन्हीं के घर पर काम करने के लिए कहा। इसके बाद मुझे मीनू दीदी मिली, जो मुझे अपने साथ अपने घर ले गयी। मैं अब विपक्षी की बताई जगह पर नौकरी नहीं करना चाहती हूँ। विपक्षी मुझे परेशान न करें तथा मेरा एक माह का वेतन दिलाया जाये।

प्रकरण के सम्बन्ध में आयोग द्वारा पक्षकारों को काउंसिलिंग हेतु बुलाया गया। पक्षकारों के मध्य काउंसिलिंग कराई गयी, जिसके उपरान्त विपक्षी रोहन द्वारा यह बताया कि मैं व मेरे साथ एक अन्य साथी मिलकर ए0एम0पी0एस0 प्राईवेट लिमि0 कम्पनी चलाते हैं, जिसके अन्तर्गत हम कामकाजी लोगों को घरेलू कार्य करने हेतु इधर–उधर जरूरतमन्द लोगों के घर भेजते हैं। हम इनसे एक बॉण्ड पर हस्ताक्षर लेते हैं, जो 100 / – रूपए के स्टाम्प पर होता है। सर्वप्रथम हमने शिकायतकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति के घर कुकिंग का कार्य करने के लिए भेजा था, वहां से हमें इनकी शिकायत मिली कि यह अधिकतर फोन पर ही व्यस्त रहती हैं तथा इनके द्वारा बनाया गया खाना भी उन्हें पसन्द नहीं आया। इसके बाद हमने इन्हें श्रीमती रोहिता के घर पर भेजा। इनका रवैया वहां पर भी पहले जैसा ही था। यह अधिकतर फोन पर व्यस्त रहती थी। श्रीमती रोहिता अधिकतर बीमार अवस्था में घर पर अकेली रहती थी। यह आयोग के समक्ष झूठ कह रही हैं कि श्रीमती रोहिता ने इन्हें अपने घर से बाहर निकाला था जबकि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। यह स्वयं उनके घर से निकल गयी थी। इन्होंने हमें भी इस विषय में सूचना नहीं दी बल्कि हमें रोहिता मैम के द्वारा इनके विशय में मालूम हुआ। इन्होंने हमें फोन किया, जिस पर हमने इन्हें काफी समझाने का प्रयास किया किन्तु यह नहीं समझी। इन्होंने हमारा भी सहयोग नहीं किया। आयोग द्वारा शिकायतकर्ता की माताजी से भी बातचीत की गयी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का बकाया वेतन विपक्षी से दिलवाने सम्बन्धी अनुरोध किया गया। आयोग द्वारा पक्षों को काफी समझाने के उपरान्त विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को उनका बकाया वेतन रू0 12,000 / – वापस करने पर सहमति जताई गयी। पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से उपरोक्त समझौता होने के आधार पर पत्रावली आयोग स्तर से निस्तारित की गयी।

(4) शिकायत संख्या–1575/2023–24

शिकायतकर्ताश्रीमती मोहिता (काल्पनिक नाम), निवासी–हल्द्वानी, नैनीताल।

विपक्षी श्री रवि (काल्पनिक नाम), निवासी–ऊधमसिंह नगर।

विषयः–भरण–पोषण व मानसिक उत्पीडन।

संक्षिप्त विवरणः– शिकायतकर्ता श्रीमती मोहिता द्वारा एक शिकायती प्रार्थना–पत्र माह–जनवरी, 2024 को इस आशय का आयोग में प्रेषित किया गया है कि मेरा विवाह विपक्षी श्री रवि के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं रहता था। मेरे पति सितारगंज में प्राईवेट जॉब करते थे। वर्ष–2019 में मेरा गर्भपात हुआ था तथा उसके बाद हम दोनों पति–पत्नी हल्द्वानी में किराए के कमरे में शिफ्ट हो गये थे। हम दोनों पति–पत्नी मेरे ससुराल जाते रहते थे। माह–मई, 2022 में मेरे पति किराए का कमरा खाली करवाकर सितारगंज चले गये। इस बीच मुझे यह भी मालूम हुआ कि मेरे पति का किसी अन्य महिला के साथ सम्बन्ध है। जब यह बात मैंने अपने सास–ससुर को बताई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपना अलग कमाओ खाओ और हमारा बेटा अलग कमायेगा खायेगा। मेरा देवर भी मेरे लिए पागल जैसे अपशब्द का प्रयोग करता था। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति जहां जॉब करते हैं, वहां पर मुझे व बेटी को अपने साथ रखें व हमारा खर्चा उठायें। वर्तमान में मैं एक प्ले स्कूल में जॉब कर रही हूँ तथा वहां पर मैंने एक वर्ष का बॉंड साईन किया है, जिस कारण मैंने एक साल से पहले वहां जॉब छोडने हेतु असमर्थ हूँ।

प्रकरण के सम्बन्ध में आयोग द्वारा पक्षकारों को काउंसिलिंग हेतु बुलाया गया। पक्षकारों के मध्य काउंसिलिंग कराई गयी, जिसके उपरान्त विपक्षी रवि द्वारा यह बताया कि मैंने सितारगंज एक प्राईवेट कम्पनी में लगभग 13 वर्ष तक कार्य किया था। पहले हम दोनों पति–पत्नी सितारगंज में ही किराए पर रहते थे, शिकायतकर्ता मेरी पत्नी के कहने पर मैं सितारगंज से हल्द्वानी किराए पर रहने हेतु शिफ्ट हुआ था। इस बीच शिकायतकर्ता के पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने पर मैंने इनके घरवालों की आर्थिक सहायता भी की थी। हल्द्वानी में किराए पर रहते हुए जब मैं अपने ऑफिस चला जाता था, तो मुझे मेरे मकान–मालिक का इस आशय का फोन आता था कि आप कमरा बदल दीजिए क्योंकि आपकी पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं रहता है। मेरी पत्नी वर्तमान में अपने मायके में रह रही हैं तथा यह मेरी बेटी से भी मेरी कोई बातचीत नहीं कराती हैं। जब से मेरी पत्नी अपने मायके में रह रही हैं, तब से मैं इन्हें लेने के लिए तीन बार इनके मायके जा चुका हूँ किन्तु यह मुझसे कहती हैं कि मैं अपने ससुराल अर्थात गांव में नहीं रहूँगी। शिकायतकर्ता मेरी पत्नी अपनी स्वयं की ईच्छा से मेरे साथ रहना नहीं चाहती हैं। मेरा किसी महिला से कोई सम्बन्ध नहीं है। वर्तमान में मैं सोनीपत, हरियाणा में जॉब कर रहा हूँ। अभी मुझे जॉब करते हुए मात्र 15 दिन ही हुए हैं तथा मैं उत्तराखण्ड में भी जॉब तलाश रहा हूँ। जैसे ही मेरा उत्तराखण्ड में किसी कम्पनी में जॉब के लिए सलैक्शन हो जायेगा, मैं अपनी पत्नी व बच्चे को अपने साथ रख लूँगा तथा इन्हें भरण–पोषण हेतु खर्चा भी दूँगा। मैं अपने परिवार को अपने साथ ही रखना चाहता हूँ किन्तु सोनीपत, हरियाणा का माहौल ठीक न होने के कारण मैं इन्हें वहां अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी माताजी का भी स्वास्थ्य खराब रहता है, इसलिए वह मेरी पत्नी के साथ हल्द्वानी में रहने के लिए तैयार नहीं हो पायेंगी। इसलिए मेरी पत्नी मेरी बेटी के साथ अपने मायके में ही रहें। शिकायतकर्ता विपक्षी के उक्त कथनों से सहमत हुई। पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से उपरोक्त समझौता होने के आधार पर पत्रावली आयोग स्तर से निस्तारित की गयी।

(5) शिकायत संख्या–1716 / 2023–24

शिकायतकर्ता श्रीमती कविता (काल्पनिक नाम), निवासी–घनसाली, टिहरी गढ़वाल।

विपक्षी श्री मोहन (काल्पनिक नाम), निवासी–टिहरी गढ़वाल।

विषयः– घरेलू हिंसा।

संक्षिप्त विवरणः– शिकायतकर्ता श्रीमती कविता द्वारा एक शिकायती प्रार्थना–पत्र माह–मार्च, 2024 को इस आशय का आयोग में प्रेषित किया गया है कि मेरी शादी विपक्षी श्री मोहन के साथ हुई थी। हमारा एक बेटा है। शादी के बाद से ही विपक्षी द्वारा मेरे साथ मारपीट, गाली–गलौच व लड़ाई–झगड़ा जैसा दुर्व्यवहार किया जाता था। मेरे पति पहले दुबई में रहते थे तथा मैं अपने ससुराल घनसाली में अपने सास–ससुर के साथ रहती थी। मेरे सास–ससुर भी मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। मेरे पति पहले मुझे कभी रू0 5,000/– व कभी रू0 6,000/– तक ही खर्चा भेजते थे। मेरी ननद भी मेरे साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करती थी। एक दिन मेरे ससुर द्वारा शराब के नशे में मेरे साथ मारपीट करते हुए मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे पति को फोन पर पूरी आपबीती बताने के उपरान्त उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ, जब मैं आऊँगा, तो तुम्हारे लिए किराए का कमरा ले लूँगा। कुछ समय बाद मैं अपने मायके से अपनी बहन के घर हरिद्वार चली गयी तथा हरिद्वार में नौकरी करने लगी। परन्तु विपक्षी मेरे पति नौकरी करने पर भी मुझे ताना देते थे। वर्तमान में मैं अपने बेटे सहित हरिद्वार में रह रही हूँ तथा अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अलग किराए पर रहना चाहती हूँ।

प्रकरण के सम्बन्ध में आयोग द्वारा पक्षकारों को काउंसिलिंग हेतु बुलाया गया। पक्षकारों के मध्य काउंसिलिंग कराई गयी, जिसके उपरान्त विपक्षी मोहन द्वारा यह बताया कि शादी के दौरान मैं शराब पीता था किन्तु विदेश जाने के बाद मैंने शराब पीना बन्द कर दिया था। मैं विदेश से अपनी माताजी के खाते में पैसा डालता था क्योंकि मेरी पत्नी ने अपना बैक खाता नहीं खुलवाया था। मैंने अपनी माताजी के खाते में कुछ 01/– लाख रूपए तक डाले थे, जिसका मुझे कोई हिसाब आज तक नहीं मिला है। मेरी पत्नी ने मुझे मेरे पिताजी द्वारा इन्हें घर से निकालने सम्बन्धी बात बताई थी, जिसके बाद मैंने ही इन्हें अपने बेटे सहित इनके मायके रहने के लिए कहा था। फिर कुछ समय बाद मैंने इन्हें समझाया कि घनसाली बाजार में किराए का कमरा ले–लो किन्तु इन्होंने वहां रहने से साफ इन्कार कर दिया। जब मैं विदेश से आया, तो मैंने इन्हें ऋषिकेश मिलने के लिए कहा किन्तु यह मुझसे नहीं मिली। यह मुझे बिना बताये जॉब कर रही थी। मैं अपनी पत्नी व बेटे को अपने साथ रखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ऋषिकेश, घनसाली, श्रीनगर या नई–टिहरी इन चार स्थानों पर किराए का कमरा लेने के लिए तैयार हूँ तथा इनका भरण–पोषण हेतु खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपनी माताजी के बैंक खाते में आज के बाद पैसा नहीं डालूँगा बल्कि मेरी पत्नी अपना बैंक खाता खुलवायें, मैं इन्हीं के खाते में पैसा प्रतिमाह डालता रहूँगा। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के उक्त कथनों का समर्थन करते हुए ऋषिकेश में किराए का कमरा लेने हेतु सहमति जताई गयी। पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से उपरोक्त समझौता होने के आधार पर पत्रावली आयोग स्तर से निस्तारित की गयी।

आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों पर लिया स्वतः संज्ञान

बस में छेड़खानी के मामलों में महिला आयोग सख्त

संवाद न्यूज एजेंसी

ऋषिकेश। उत्तराखंड रोडवेज की बसों में सामने आए छेड़छाड़ के मामलों पर उत्तराखंड महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर और उत्तराखंड रोडवेज के मंडलीय प्रबंधक संजय गुप्ता से बात कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

कंडवाल ने कहा कि देहरादून की टनल के पास रोडवेज बस में महिला शिक्षिका से छेड़खानी और ऋषिकेश में रोडवेज बस में महिला के साथ परिचालक द्वारा छेड़खानी करना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने एसएसपी और मंडलीय प्रबंधक से दोनों मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा।

आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल।

आयोग की अध्यक्ष ने एसएसपी और रोडवेज के मंडलीय प्रबंधक से की बात

ऋषिकेश मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

एसएसपी देहरादून ने बताया कि ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी खुशीराम पांडे से ऋषिकेश में बस में छेड़खानी मामले की जानकारी ली है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

रोडवेज प्रबंधन ने भी शुरू की बस में शिक्षिका से छेड़छाड़ की तफ्तीश

फॉलोअप

- राज्य महिला आयोग ने रोडवेज के मंडलीय प्रबंधक को दिए निर्देश
- ग्रामीण डिपो की थी यह बस, प्रबंधन ने ड्राइवर-कंडक्टर से की बात

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने रोडवेज बस में शिक्षिका से छेड़छाड़ का संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इधर, रोडवेज प्रबंधन के स्तर पर इस प्रकरा की जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर, देहरादून पुलिस भी इस मुकदमे की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है।

अभी पिछले महीने की 21 तारीख को आईएसबीटी से महिला गणेशपुर से देहरादून के लिए रात करीब नौ बजे उत्तराखंड रोडवेज की बस में सवार हुई थी। आरोप है कि बस में सवार तीन व्यक्तियों ने एक कपड़े पर स्प्रे करके महिला को सुंघाया, जिससे वह बेहोश जैसी हो गई। इस दौरान रोडवेज बस की लाइट बंद की गई थी, तभी महिला से छेड़छाड़ की गई। शहर कोतवाली ने इस मामले में नौ दिन बाद मुकदमा दर्ज किया है। शनिवार को राज्य महिला आयोग ने भी इस प्रकरण का संज्ञान लिया। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने रोडवेज के मंडलीय प्रबंधक-संचालन संजय गुप्ता को फोन करके इस मामले की जांच के निर्देश दिए।

ड्राइवर-कंडक्टर का ऐसी किसी घटना से इनकार

गुप्ता ने बताया कि इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। शिक्षिका जिस बस से आ रही थी, वह ग्रामीण डिपो की है। यह बस सुबह लुधियाना से चली थी, जो सुबह 11 बजे दून पहुंची। ड्राइवर-कंडक्टर से फोन से बात हो चुकी है, उन्होंने ऐसी घटना से इनकार किया। हालांकि, इस मामले की अभी जांच चलती रहेगी।

"ऋषिकेश और देहरादून में बस में छेड़छाड़ की दो घटनाएं सामने आई हैं। एसएसपी और रोडवेज प्रबंधन को जांच के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। महिलाओं से इस तरह की घटनाएं शर्मनाक हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। -कुसुम कंडवाल, अध्यक्ष-राज्य महिला आयोग

युवती से छेड़छाड़ मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष सख्त

घटना की जांच तथा व्यक्ति के विरुद्ध जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए

स्वतंत्र चेतना

ऋषिकेश। देहरादून के चक्कूवाला में एक मन्दिर में पुजारी द्वारा 14 वर्षीय युवती से छेड़-छाड़ करने व डालनवाला क्षेत्र में एक युवती द्वारा दहेज प्रताड़ना व घरेलू हिंसा के चलते की गयी खुदकुशी के मामले में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने खबर मिलते ही स्वतः संज्ञान लिया है।

जानकारी के मुताबिक महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल को पता चला कि चक्कूवाला स्थित एक मन्दिर में किसी पुजारी द्वारा 14 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ करते हुए उसके गाल पर काटा है और अभद्रता की है उन्होंने तत्काल इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए डीआईजी पी रेणुका से फोन पर वार्ता की और कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और अत्यंत शर्मनाक है उन्होंने कहा कि इस घटना में जांच होनी चाहिए तथा उस घटिया मानसिकता के व्यक्ति के विरुद्ध जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने डालनवाला क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक पीड़िता द्वारा दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा से तंग आकर आत्महत्या के मामले में शीघ्रता से कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली कि आरोपी पक्ष स्वतंत्र घूम रहा है और मृतक पीड़िता का परिवार न्याय के लिए भटक रहा है ऐसे मामलों में तत्काल गिरफ्तारी और पूछताछ होनी चाहिए और आरोपी के विरुद्ध जांच करते हुए विभिन्न धाराओं में कड़ी कार्यवही की जानी चाहिए। जिस पर डीआईजी पी रेणुका ने बताया कि मन्दिर में छेड़छाड़ करने वाले पुजारी पर पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है तथा डालनवाला क्षेत्र में आत्महत्या करने वाली पीड़िता के ससुराल पक्ष के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा है कि किसी भी

महिलाओं की शिकायत के लिए व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस

राज्य की पुलिस ऐसी पीड़िताओं के लिए तत्काल उपलब्ध है, बशर्ते पीड़िता को 112 या आपातकाल के नंबरों में इन मामलों की सूचना अवश्य देनी चाहिए। और यदि इन मामलों में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाती तो उनकी शिकायत राज्य महिला आयोग में व्हाट्सएप नं. 8126774374, ईमेल women.commission.uk@gmail.com से भी कर सकती है। राज्य महिला आयोग प्रदेश की महिलाओं के हित में और पीड़िताओं के संरक्षण में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।

पीड़िता की आत्महत्या का कदम नही उठाना चाहिए यदि किसी महिला को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा हो तो उसे उसकी शिकायत करनी चाहिए और उसके विरुद्ध कानूनी कदम उठाना चाहिए।

नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भपात के मामले में महिला आयोग ने दिखाई सख्ती

आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

देहरादून/स्वप्निल : रविवार को राजधानी देहरादून के सहसपुर निवासी 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भपात के मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है। जानकारी मिलने पर आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने एसपी देहात देहरादून से फोन पर वार्ता करते मामले में आरोपी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया की उक्त आरोपी पहले से नाबालिग के संपर्क में पहले से था तथा उसके साथ दुष्कर्म के बाद उसने उसे गर्भपात की दवा दी। दवा खाने के बाद 3 जनवरी को 15 वर्षीय नाबालिग बालिका की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां पहुंचने पर जांच कर डॉक्टर ने बताया की किसी युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई थी तथा उसने नाबालिग को गर्भपात की दवा खिला दी। जिससे उनका गर्भपात हो गया तथा तबियत बिगड़ गयी है। बता दें कि मामले में जांच व जानकारी करने पर पता चला कि युवक ने डरा धमकाकर नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। वही पुलिस द्वारा पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो सहित दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने, गर्भपात कराने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

महिला आयोग ने विनीता भंडारी की मौत पर मांगी जांच रिपोर्ट

देहरादून। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने 22 वर्षीय विनीता भंडारी की संदिग्ध अवस्था में मौत की जांच रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच के लिए निर्देशित किया है।

बीते चार दिसंबर से मुनि की रेती थाना पुलिस क्षेत्र से लापता हुई ढालवाला निवासी 22 वर्षीय विनीता भंडारी का आधा जला हुआ शव देहरादून रोड के जंगलों में मिला था। इसके बाद से ही महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल मामले की जानकारी के लिए अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं।

पुलिस अधिकारियों की ओर से आयोग को बताया गया कि चार दिसंबर को 10:48 पर विनीता को एचएनबी नटराज चौक की ओर जाते हुए देखा गया है। मृतका की अंतिम कॉल भी अर्जुन से हुई है। पूछताछ की जा रही है व सभी तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है। मा.सि.रि.

युवक की आत्महत्या मामले में आयोग के जांच के आदेश

देहरादून। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे चमोली जिले के एक व्यक्ति की आत्महत्या के वीडियो का संज्ञान लिया है।

आत्महत्या से ठीक पहले बनाए गए इस वीडियो में वे अपनी पत्नी के अवैध संबंध के चलते जान देने की बात कह रहे हैं। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने डीएम, एसएसपी चमोली तथा जिलाधिकारी और एसएसपी पौड़ी को वीडियो भेजकर मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीआईजी पी रेणुका से वार्ता करते हुए सत्यता को जल्द सामने लाने के निर्देश दिए हैं।

टीम ने पांच घंटे तक की पूछताछ

संरक्षण गृह पहुंची जांच समिति ने महिलाओं और किशोरियों से अलग-अलग की बात

अमर उजाला ब्यूरो

हल्द्वानी। शहर के एक संरक्षण गृह की किशोरी को बाहर ले जाकर दुष्कर्म मामले की जांच शुरू हो गई है। शासन की ओर से गठित जांच समिति रविवार को संरक्षण गृह पहुंची। टीम ने वहां कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ ही वहां रह रहीं किशोरी, महिलाओं से करीब पांच घंटे तक अलग-अलग पूछताछ की। आरोपी कर्मचारी और होमगार्ड के भी बयान लिए। टीम ने दूसरी संस्था पहुंचकर पीड़िता के भी बयान दर्ज किए।

शासन की ओर से गठित कमेटी के सदस्य मुख्य परिवीक्षा अधिकारी महिला कल्याण मोहित चौधरी और उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी अंजना गुप्ता सुबह 9:30 बजे संरक्षण गृह पहुंचीं। टीम ने पहले किशोरी वार्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। टीम सीसीटीवी फुटेज अपने साथ ले गई।

सूत्रों के अनुसार टीम सोमवार को एसटीएच के डॉक्टर से मिलेगी। टीम ने किशोरी को इलाज में लाने, ले जाने के सभी रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रख लिए हैं। उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी अंजना गुप्ता ने बताया कि पूछताछ चल रही है। तीन दिन में रिपोर्ट शासन को देनी है।

दोषी मिलूं तो कड़ी सजा दिला देना

जांच टीम के सामने आरोपी महिला कर्मचारी रो पड़ी। उसने आरोपों को निराधार बताया। कहा कि जांच में किशोरी की शिकायत सही पाई जाती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला देना। सूत्रों के अनुसार, महिला कर्मचारी की अपनी कई मजबूरियां हैं। उधर, लालकुआं तहसीलदार ने भी संरक्षण गृह में किशोरियों और पीड़िता से बात की।

ये है मामला

संरक्षण गृह में रह रही किशोरी ने दो महिला कर्मियों पर बाहर ले जाने और वहां दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोपी महिला कर्मी को निलंबित कर दूसरी कर्मचारी को होमगार्ड विभाग में वापस भेज दिया था।

संरक्षण गृह में पीड़ित किशोरियों ने महिला आयोग को बताई थी कहानी

देहरादून। नैनीताल के हल्द्वानी स्थित एक संरक्षण गृह में किशोरी को बाहर ले जाकर दुष्कर्म कराने के आरोप में संरक्षण गृह की दो महिला कर्मचारियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि बीते 11 दिसंबर को वह हल्द्वानी प्रवास पर थीं। इसी दौरान उन्होंने संरक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान किशोरियों से बातचीत में एक किशोरी के व्यवहार में कुछ गड़बड़ी मिली थी। कुसुम कंडवाल ने बताया कि एक किशोरी अपनी बात कहना चाह रही थी। हमने किशोरी से बात की और किशोरी की बताई हुई कुछ बात समझकर मामले की जानकारी हासिल की। अपने भ्रमण के बाद 12 दिसंबर को सचिव महिला एवं बाल विकास हरिचंद सेमवाल व निदेशक प्रशांत आर्या से वार्ता करते हुए उक्त प्रकरण में संरक्षण गृह में कार्यरत अनुसेविकाओं की जांच करने के लिए निर्देशित किया था। हरिचंद सेमवाल ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को मामले की जानकारी दी। इस पर 16 दिसंबर को जांच की टीम गठित की गई। वहां तैनात उक्त अनुसेविकाओं को निलंबित किया गया है। इसके अलावा तैनात होमगार्ड को भी वापस भेज दिया गया। ब्यूरो

विदेशी पर्यटक महिला से य्छेड़छाड़ पर महिला आयोग सख्त, दिए कड़ी कार्यवाही के निर्देश

स्वतंत्र चेतना

ऋषिकेश । भूतनाथ मंदिर के पास एक युवक द्वारा पर्यटक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने संज्ञान लेते हुए कड़ाई से कार्यवाही की बात की है। उन्होंने पुलिस थाना लक्ष्मणझूला के एसओ से फोन पर मामले की जानकारी ली और ऐसे मामले में कड़ाई से कार्यवाही के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि समाज मे इस प्रकार का बर्ताव अत्यंत शर्मनाक है। ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी की कड़ी सजा होनी चाहिए। मामले में उन्होंने जांच के आदेश भी दिए है। जिस पर एसओ लक्ष्मण झूला ने बताया कि उक्त अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध लज्जा भंग करने और हत्या से प्रयास से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसओ ने बताया की लड़का सहारनपुर का निवासी है कुछ दिन पहले ही यहां घूमने आया था। अब वो पुलिस की हिरासत में है। और विदेशी पर्यटक महिला का एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है।

देवभूमि में बढ रहे लव जिहाद के मामलों पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने लिया संज्ञान, जांच व कार्यवाही के दिये निर्देश

नितिन कुमार गढ़वाल मंडल ब्यूरो चीफ

देहरादून7देवभूमि उत्तराखंड में जैसे जैसे लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई चिंता का विषय है। ये मामले अब पहा? की ओर भी ब?ने लगे हैं!जिन मामलों में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने संज्ञान लेते हुए कहा कि देवभूमि हो या भारत का कोई भी हिस्सा लव जिहाद जैसे मामलों का होना बहुत ही शर्मनाक है, धर्म की आड़ में महिलाओं को लवजिहाद का शिकार बनाकर उनके साथ कुकृत्य करने या जबरन धर्मांतरण कराने के आरोपियों को बिल्कुल बख्शा नही जाएगा। उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी! देवभूमि उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में सख्त धर्मांतरण कानून भी है। देवभूमि को दूषित करने वाले ऐसे अपराधियों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा! राज्य महिला आयोग ऐसे मामलों की कड़ी निन्दा करता है! उन्होंने इन मामलों में आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने डीजीपी उत्तराखंड एवं सभी जिलों के एसएसपी को पत्र भेज कर इन मामलों में जांच करते हुए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं तथा साथ ही आयोग की अध्यक्ष ने उन्हें राज्य में सभी संवेदनशील जगहों में किराएदारों के सत्यापन के साथ साथ संदिग्धों की जांच के लिए भी निर्देशित किया है!

मोईद समेत 35 आरोपियों पर भी लगेगा यूएपीए

वनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा मामले में कई प्रमुख नाम शामिल, पुलिस ने इन सभी के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू किया

शिकंजा

हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के बाद उस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की है। अब पुलिस उसके बेटे वांटेड अब्दुल मोईद और संबंधित मुकदमे में नामजद एवं गिरफ्तार किए जा चुके 35 अन्य आरोपियों पर भी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानि यूएपीए के तहत कार्रवाई करने जा रही है।

बीती आठ फरवरी को हुई हिंसा के बाद थाना वनभूलपुरा में तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पहला मुकदमा क्षेत्र में दंगा भड़काने, आगजनी करने, सरकारी व सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने, हत्या का प्रयास करने सहित अन्य आरोपों सहित धारा 147, 148, 149, 307, 395, 323, 332, 341, 342, 353, 427 और 436 के तहत दर्ज किया गया। इसमें अब्दुल मलिक और उसके बेटे वांटेड अब्दुल मोईद सहित 16 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें से पुलिस अब्दुल मलिक पर पहले ही यूएपीए के तहत कार्रवाई कर चुकी है। वहीं, अब नैनीताल पुलिस अब्दुल मोईद सहित 35 अन्य आरोपियों पर भी यूएपीए के तहत कार्रवाई करने जा रही है। इसमें जावेद सिद्दीकी सहित कई अन्य प्रमुख नाम भी शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू कर दिया है।

हल्द्वानी में मंगलवार को कोतवाली सभागार में महिला पुलिस से जानकारी लेती राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल।

16 धाराओं के साथ दर्ज मामले के 16 नामजद समेत 19 गिरफ्तार आरोपी जद में

08 फरवरी को वनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने पर भड़की थी हिंसा

इनके खिलाफ होगी कार्रवाई

अब्दुल मोईद, अरशद अय्यूब, महबूब आलम, जीशान परवेज, जावेद सिद्दीकी, असलम चौधरी, जुनैद, निजाम, महबूब उर्फ माकू, शहजाद उर्फ कनकड़ा उर्फ ठेकेदार, शहनवाज, अब्दुल माजिद, साजिद, मोहम्मद नईम, शकील अहमद, इसरार अली, शानू उर्फ राजा, रईस उर्फ बिट्टू, अबू तसलीम, भोला उर्फ सोहेल, सोहेब, सलीम पाशा, शकील अहमद अंसारी, जिया उर्रहमान, मोकिन अहमद सैफी, शारिक सिद्दीकी, दानिश मलिक, मोहम्मद शुएब, वसीम सिद्दीकी, तस्लीम कुरैशी, मोहम्मद अनस, मोहम्मद समीर उर्फ चांद, जावेद कुरैशी, अयाज अहमद और रईस अहमद।

"वनभूलपुरा थाना पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में जितने भी लोग नामजद हैं और अभी तक जितने भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उन सभी के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूएपीए के तहत कार्रवाई के लिए कई साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस टीमें मजबूत तथ्य जुटाने में लगी हैं। -प्रह्लाद नारायण मीणा, एसएसपी, नैनीताल

मिले सुराग, जल्द हत्थे चढ़ सकता है मोईद

हल्द्वानी। वनभूलपुरा हिंसा मामले में घोषित नौ वांटेड में से अब केवल अब्दुल मोईद ही ऐसा बचा है, जिसे पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसकी तलाश में पुलिस कई जिलों में दबिश दे चुकी है। वहीं पुलिस को मोईद के गिरफ्तार आरोपी पिता अब्दुल मलिक से पूछताछ में कुछ सुराग हाथ लगे हैं। इसके चलते टीमों को रवाना किया गया है। वहीं पुलिस ने मोईद की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने लगभग पांच टीमें गठित कर चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि भेजी हैं। दूसरी तरफ मोईद की गिरफ्तारी पर इनाम रखने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

महिला आयोग अध्यक्ष ने महिला पुलिस को सराहा

- आयोग अध्यक्ष ने हिंसा में घायल महिला पुलिस कर्मियों का हाल जाना
- नगर निगम के कर्मियों को आयोग की तरफ से सुरक्षा का दिलाया भरोसा

हाल जाना

हल्द्वानी, संवाददाता। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि परस्पर भाईचारा और सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। वनभूलपुरा उपद्रव के दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपद्रव की घटना के दौरान जिम्मेदारी के साथ बखूबी ड्यूटी निभाने वाली महिला पुलिस कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठ की सराहना की। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि हिंसा में घायल महिला पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य महिला आयोग हमेशा तत्पर है।

वनभूलपुरा हिंसा की घटना के मामले में आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल मंगलवार को यहां पहुंचीं। उन्होंने घटना में घायल महिला पुलिस कर्मियों से कोतवाली सभागार में मुलाकात कर उनका हाल जाना। उन्होंने कहा कि उपद्रव के दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने जिस तरह साहस और सूझबूझ का परिचय दिया, वह प्रशंसनीय है। कहा कि महिला पुलिस कर्मी परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए लोगों की परेशानियों को दूर करने में भी भूमिका निभा रही हैं। आयोग महिला पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। इस मौके पर उन्होंने घटना में घायल हुए नगम निगम के कर्मचारियों से भी बातचीत कर आयोग की तरफ से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। आयोग अध्यक्ष ने कहा, सौहार्द्र बिगाड़ने का प्रयास करने वाले अराजक तत्वों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वनभूलपुरा उपद्रव की घटना को देवभूमि के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा, दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। यहां एसएसपी पीएन मीणा, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम पारितोष वर्मा, सीओ संगीता, तहसीलदार सचिन कुमार आदि रहे।

साफिया के बारे में भी सुराग मिले

मलिक की रिमांड लेने के बाद सोमवार को पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो मोईद और साफिया के बारे में कुछ सुराग पुलिस के हाथ लगे।

सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में शनिवार को पत्रकारों से वार्ता करती राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल। साथ में सदस्य सचिव उर्वशी चौहान • जागरण

महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार करना आयोग की बड़ी उपलब्धि : कंडवाल

जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि दो वर्ष के कार्यकाल में महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार करना उनकी बड़ी उपलब्धि रही है। महिला अधिकारों की सुरक्षा को लेकर बुद्धिजीवियों ने ड्राफ्ट को तैयार किया है। इसके अलावा आयोग ने गृह क्लेश की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 505 मामलों का निस्तारण कर परिवारों को जोड़ने का काम किया है। दूरस्थ क्षेत्रों में महिला अधिकार को लेकर अभियान चलाए गए।

शनिवार को सुभाष रोड स्थित मीडिया सेंटर में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर महिलाओं के हित में किए गए कार्यों को गिनाया। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर चमोली एवं रुद्रप्रयाग में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित की गईं। वर्ष 2022-23 में 1974 दर्ज शिकायतों में से 355 का निस्तारण किया गया। वर्ष 2023-24 में 1,361 दर्ज शिकायतों में से 150 का निस्तारण किया। इसके अलावा न्यायालय में मुकदमा लड़ने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर महिला पीड़ितों के लिए 46 अधिवक्ता निश्शुल्क उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को भेज दिया गया है। नीति लागू होते ही महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोगार के क्षेत्र में मजबूत होंगी। इस मौके पर आयोग की सदस्य सचिव उर्वशी चौहान, स्वाति चमोली, शानू रावत, अंजली मलेठा आदि मौजूद रहीं।

आयोग की अध्यक्ष ने किया सीएचसी और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने टिहरी के हिंडोलखाल में कार्यशाला के माध्यम से महिलाओं को किया जागरूक

टिहरी। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग पहाड़ी जिलों के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लॉकों में जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों घरेलू हिंसा व महिलाओं के हित की सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर रहा है इसी कड़ी में आज उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने टिहरी गढ़वाल के हिंडोलखाल ब्लाक के बीडीसी सभागार में महिला मिलन व जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। जिसमे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल उपस्थित रही। महिला मिलन एवं जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को एसपी बहुगुणा ने घरेलू हिंसा में कानूनी जानकारी वाह बाल विकास विभाग की सीडीपीओ सविता काला ने महिलाओं के हित में संचालित विभागीय योजनाओं की जानकारी दी इस अवसर पर में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के महिला मंगल दल ने बेटियों को शिक्षा है जरूरी गीत के की प्रस्तुति दी तथा बाल विकास विभाग की महिलाओं ने विभिन्न गीतों के माध्यम से योजनाओं के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के

नेतृत्व में महिलाएं सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका में है और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित कर रहे है। इसी लिए हम सभी महिलाओं को एकजुटता के साथ अपने लिए अपने समाज के लिये और अपने देश की आर्थिकी के लिए खुद को स्वरोजगार से भी जोड़ना है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हम लोग अपनी संस्कृति व संस्कारो को भूल रहे है इस कारण से महिला शोषण व घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे है। इनको रोकने के लिए हमे अपनी संस्कृति, संस्कारों व जड़ों से जुड़ा रहना होगा। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने हिंडोलखाल के सीएचसी केंद्र का निरीक्षण किया और उन्होंने वहां पर प्रसूति कक्ष सहित ब्लड टेस्ट की मशीनों की स्तिथि का जायजा लिया तथा महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने आंगनबाड़ी केन्द्र का भी निरीक्षण किया तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की स्तिथि की जानकारी ली। जिसके बाद महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा है कि निरीक्षण में जिन व्यवस्थाओं में कमी पाई गई है वो उसके लिए संबंधित विभाग से बात करेंगी। कार्यक्रम के उपरान्त महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष ने कार्यक्रम में पहुंचे महिलाओं को सेनेटरी पैड भी वितरित किए इस अवसर पर कार्यक्रम में डॉ सुशील कोटनाला, समाजसेविका तनुजा बडोनी, कृष्णकांत कोटियाल, शुभांगी कोटियाल, सीडीपीओ सविता काला, ब्लाक प्रमुख सूरज पाठक, सुखदेव बहुगुणा, आधार वर्मा, यशवंत पैंवार, राकेश बडोनी सहित विभिन्न समूहों की महिला, महिला मंगलदल व बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रही।

मानव तस्करी रोकने के लिए समन्वय जरूरी : कंडवाल

■ रुद्रप्रयाग/एसएनबी।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पुलिस, महिला एवं बाल विकास के साथ संवाद कर जनपद में मानव तस्करी, बाल मजदूरी समेत अन्य संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ज्यादा सक्रिय एवं संवेदनशीलता के साथ मानव तस्करी समेत महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर काम करने के निर्देश दिए। कंडवाल ने कहा कि पंचायत से लेकर पालिका स्तर के जनप्रतिनिधि जिनका जनता से सीधा संपर्क एवं रिश्ता होता है, उन्हें ऐसे मामलों में सक्रियता दिखाने की जरूरत है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशन पर राज्य महिला आयोग एवं मदर्स एंजेल चिड्रन सोसायटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के लिए रुद्रप्रयाग पहुंची राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले में मानव तस्करी, बाल मजदूरी, भिक्षा वृत्ति, ड्रग्स की तस्करी समेत महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीमांत एवं दूसरे राज्य व देशों से लगते गांवकस्बे मानव तस्करी के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते है, ऐसे क्षेत्रों में पुलिस समेत संबंधित विभागों को अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने अब तक जिले में मानव तस्करी, बाल श्रम आदि मामलों में पंजी.त शिकायतों एवं उनके समाधान की समीक्षा भी की। कंडवाल ने कहा कि मानव तस्करी को रोकने में हमारे जनप्रतिनिधि बड़ी अहम भूमिका निभा सकते है। ग्राम प्रधान हो या वार्ड सदस्य उन्हें अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी रहती है। ऐसे में किसी

■ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से किया संवाद

कार्यशाला को संबोधित करती राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल।

भी नए व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करने पर या कोई संदिग्ध बात लगने पर सीधा पुलिस या संबंधित विभागों को सूचित कर सकते है।

भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर पंवार ने महिला आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन एवं बैठक में मौजूद एनजीओ और अधिकारियों को जनपद के मेले या अन्य बड़े आयोजनों के दौरान मंच से युवकयुवतियों एवं अभिभावकों के लिए विशेष जागरुकता अभियान चलाने की सिफारिश की। कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बार मे जागरूक किया जा सकता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के निदेशक राजेश चतुर्वेदी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए मानव तस्करी को रोकने के सुझाव आयोग एवं पुलिस को दिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल, इसके फायदे एवं नुकसान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया। वहीं सीओ हर्षवर्धनी सुमन ने केदारनाथ यात्रा के दौरान खो जाने वाली महिला या अन्य यात्रियों के लिए शेल्टर होम बनवाने की सिफारिश की। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग बिसारिया ने मानव तस्करी एवं बाल मजदूरी के कानूनी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में ब्लॉक प्रमुख मंदाकिनी (अगस्त्यमुनि) विजया देवी, पूर्व सभासद नगर पालिका अजय सेमवाल, डॉ. शशिबाला, प्रधानाचार्य राइका आरएस भदौरिया, सब इंस्पेक्टर ज्योति पंवार, राखी बिष्ट, रंजना गैराला आदि मौजूद रहे।

राज्य महिला आयोग ने नाबालिग की मौत और दुष्कर्म मामले का लिया संज्ञान

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। रेसकोर्स स्थित फ्लैट में आज सुबह एक नाबालिग का शव मिलने के मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है। मामला देहरादून के रेस कोर्स स्थित एक शिक्षिका के फ्लैट का है जिसमे नाबालिग नौकरानी का काम करती थी। आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में उक्त नाबालिग किशोरी का शव बाथरूम से पाया गया है।

मामले की जानकारी मिलते ही आयोग अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून से फोन पर वार्ता की। आयोग की अध्यक्ष ने आईजी पी रेणुका से कहा कि उक्त नाबालिग किशोरी की मौत के कारणों की स्पष्ट जांच की जाए। उन्होंने एसएसपी देहरादून को कड़ाई से निर्देश देते हुए कहा कि यदि उक्त नाबालिक ने सुसाइड किया है तो उसके सोसाइड के कारणों की जांच होनी चाहिए और यदि जांच में पाया जाता है कि सोसाइड नही की बल्कि अन्य कारणों से उक्त नाबालिग की मृत्यु हुई है तो उसमे संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सभी तथ्यों की स्पष्ट जांव हो। यदि मामले में नाबालिग के साथ कही भी कुछ गलत कृत्य किया गया हो तो उक्त मामले के आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही नाबालिग से इस प्रकार से अपने फ्लैट में नौकरी करवाने वाले के व उसके माता पिता के विरुद्ध भी उक्त धाराओं में मामला लिखा जाना चाहिए। वही सेलाकुई निवासी एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ मुस्लिम युवक फरमान द्वारा इंस्टाग्राम पर कक्षा आठ की किशोरी को दोस्ती की आड़ में बहला फुसला कर दुष्कर्म के मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने सख्त रुख करते हुए प्रकरण में एसओ सेलाकुई व एसएसपी देहरादून से फोन पर वार्ता की। मामले में पीड़िता ने अपने माता पिता सहित आयोग अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल से कार्यालय में मुलाकात की।

इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि पीड़िता सेलाकुई के जूनियर हाईस्कूल में पढ़ती है जहां से आरोपी फरमान द्वारा उसे अपने परिचित ऑटो रिक्शा से एक कमरे में ले गया जहां उसने उसके कपड़े बदलवाए उसे बहला फुसलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि वहीं एक महिला भी थी जो कि ठीक नही थी।

उक्त मामले में आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने एसओ सेलाकुई, एसएसपी देहरादून से फोन पर वार्ता करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि मामले में सभी पहलुओं से जाँच की जाए और यदि इस मामले में कोई भी अन्य संलिप्त है या यह मामला तस्करी से संबंधित है तो इसकी गंभीरता से कार्रवाई की जाए। जिसमें एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले के आरोपी फरमान को पोक्सो के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

महिलाओं को मदद दिलाना प्राथमिकता : कुसुम कंडवाल

महिला राज्य महिला आयोग ने वर्ष 2023-24 में 150 परिवारों का घर तोड़ने से बचाया

देहरादून (एसएनबी)। नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो ने अभी हाल ही में रिपोर्ट में कहा है कि पर्वतीय राज्यों में सर्वाधिक दुष्कर्म के मामले उत्तराखंड में हुए हैं। वहीं शनिवार को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने प्रेस कांफ्रेस में दावा किया कि आयोग महिलाओं की मदद करने में काफी आगे है। कंडवाल ने बताया कि आयोग ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष अलग-अलग क्षेत्रों में समय समय पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्याशालाएं एवं सेमिनार का आयोजन भी लगातार किए जाते हैं ताकि महिलाओं की समस्याओं का तेजी से समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में राज्य महिला आयोग ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 कुल 1580 शिकायतें आई जिनमें 1400 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। शेप 180 शिकायतों पर काम किया जा रहा है। उसी तरह वर्ष 2022-23 में 1947 शिकायतें राज्य महिला आयोग के समक्ष आई और इसमें करीब 1810 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। शेप 137 शिकायतों पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। कंडवाल ने कहा कि वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 1361 शिकायतें आई हैं जिनमें 626 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

प्रेस कांफ्रेस को संबोधित करतीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल।

शेष 735 शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में कुल 355 परिवारों का घर और वर्ष 2023-24 में कुल 150 परिवारों का घर तोड़ने बचाया गया है। कंडवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। कंडवाल ने कहा कि समय-समय पर वन स्टाप सेंटर, नारी निकेतन, जिला कारागार तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया है। कंडवाल ने कहा कि राज्य महिला आयोग निरंतर महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रहा है। विशेष रूप से पीड़ित महिला की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने के लिए समन्वय किया जाता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी राज्य महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कार्य करता रहेगा।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में महिला आयोग सख्त

माई सिटी रिपोर्टर

देहरादून। सहसपुर की 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भपात के मामले को महिला आयोग की अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है। इस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने एसपी देहात देहरादून से फोन पर वार्ता कर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि आरोपी पहले से नाबालिग के संपर्क में था। उसने दुष्कर्म के बाद नाबालिग को गर्भपात की दवा दी। दवा खाने के बाद तीन जनवरी को बालिका की तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने बताया, इसे गर्भपात की दवा खिलाई गई है। इस मामले में जांच व जानकारी करने पर पता चला कि युवक ने डरा-धमकाकर नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया था।

आयोग अध्यक्ष ने एसपी देहात से फोन पर बातकर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई को कहा

पिता दे चुके हैं तहरीर

पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने, गर्भपात कराने आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इस मामले में कुसुम कंडवाल ने एसपी देहात को सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसे क्षेत्रों में सख्ती से जांच करनी चाहिए।

महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल पहुंची कोतवाली

लापता हुई बालिकाओं और महिला को जल्द से जल्द तलाश करने के दिए निर्देश

स्वतंत्र चेतना

ऋषिकेश । उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ऋषिकेश क्षेत्र से लापता हुई दो बालिकाओं और एक महिला के संबंध में काफी गंभीर नजर आ रही है।

कुसुम कंडवाल ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को लापता हुई बालिकाओं और महिला को जल्द से जल्द तलाश करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल आज ऋषिकेश कोतवाली पहुंची।

कुसुम कंडवाल ने कोतवाल खुशीराम पांडे और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कुसुम कंडवाल ने कोतवाल से पूछा कि आखिरकार क्या वजह है कि ऋषिकेश क्षेत्र से

लापता हुई दो बालिकाओं और एक महिला का गुम होने के बाद से अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। लापता बालिकाओं और महिला के परिजन महिला आयोग का दरवाजा लगातार खटखटा रहे हैं। पुलिस पर लापरवाही पर रखने का आरोप लगाकर नाराजगी भी जाता रहे हैं।

ऐसे में मजबूरी वश उनको कोतवाली में आकर पुलिस से सवाल जवाब करने पड़ रहे हैं। कुसुम कंडवाल ने बताया कि कोतवाल ने लापता पालिकाओं और महिला को जल्दी ही तलाश कर वापस लाने का भरोसा दिया है।

नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भपात के मामले में महिला आयोग ने दिखाई सख्ती

आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

देहरादून/स्वप्निल : रविवार को राजधानी देहरादून के सहसपुर निवासी 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भपात के मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है। जानकारी मिलने पर आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने एसपी देहात देहरादून से फोन पर वार्ता करते मामले में आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया की उक्त आरोपी पहले से नाबालिग के संपर्क में पहले से था तथा उसके साथ दुष्कर्म के बाद उसने उसे गर्भपात की दवा दी। दवा खाने के बाद 3 जनवरी को 15 वर्षीय नाबालिग बालिका की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां पहुंचने पर जांच कर डॉक्टर ने बताया की किसी युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई थी तथा उसने नाबालिग को गर्भपात की दवा खिला दी। जिससे उनका गर्भपात हो गया तथा तबियत बिगड़ गयी है। बता दें कि मामले में जांच व जानकारी करने पर पता चला कि युवक ने डरा धमकाकर नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। वही पुलिस द्वारा पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो सहित दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने, गर्भपात कराने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

ये सर्वस्पर्शी बजट है, जो सभी वर्गों के साथ महिलाओं व वंचितों के उत्थान मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ पीएम के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देगा. यह बजट नए भारत को नए आयाम प्रदान करेगा.

कुसुम कंडवाल, अध्यक्ष, महिला आयोग

कुसुम कण्डवाल महिला कैदियों से हुई रूबरू

नैनीताल(संवाददाता)। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने अपने कुमाऊं दौरे के दौरान उप कारागार हल्द्वानी का निरीक्षण किया तथा उन्होंने वहाँ महिला कैदियों को मिलने वाली व्यवस्थाओं/सुविधाओं का जायजा लिया और महिला कैदियों से वह खुद रूबरू हुईं।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला कैदियों से उनकी समस्याओं के बारे में रूबरू हुईं। उपकारागार में उन्होंने महिला कैदियों को जेल में दी जा रही मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार पाण्डेय ने बताया गया कि उपकारागार में वर्तमान में 77 महिला कैदी रह रही हैं। आयोग की अध्यक्ष ने महिला कैदियों को खाने-पीने के लिए दिया जाने वाला भोजन, चिकित्सकीय उपचार व अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला कैदियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका यहां आने का केवल एक ही उद्देश्य है कि वे महिला कैदियों की समस्याओं से रूबरू हो सकें व उनकी समस्याओं का निवारण करा सकें। यदि किसी भी महिला कैदी को यहां रहने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो वे बेझिझक उन्हें बता सकती हैं। उन्होंने कहा जेल में कैदी महिलाओं को स्वरोजगार हेतु जोड़ने का कार्य किया जा रहा है ताकि जेल से बाहर आकर महिलायें अपना स्वरोजगार कर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए जेल में महिलाओं के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण तथा उन्हें व्यवसाय के उद्देश्य से कच्चा सामन दिया जायेगा ताकि कैदी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ कर उनके बने समान को बाजार तक पंहुचाया जाए, निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन द्वारा उन्होंने कहा की कैदियों को जो व्यवस्थायें दी रही है उन व्यवस्थाओं से संतुष्ट है तथा प्रशासन पूरी मेहनत से अपना कार्य कर रहा है। इस दौरान आयोग की अध्यक्ष ने महिला बैरक में पौधारोपण भी किया। साथ ही आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा राज्य की महिलाओं की सशक्तिकरण हेतु महिला नीति तैयार की है जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवम्बर को जल्दी लागू करवाने की घोषणा की है। आयोग की अध्यक्ष ने बताया की आयोग ने जो महिला नीति तैयार की है उसे प्रदेश की मातृशक्ति के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से देवभूमि में महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु इस योजना को तैयार किया है। इस महिला नीति से महिलाओं को सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक तौर पर सशक्त करना है।

प्रदेश की महिला नीति पर सरकार जल्द लेगी फैसला

देहरादून,वरिष्ठ संवाददाता। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि उत्तराखंड की महिला नीति पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। आयोग ने महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्थाओं और प्रमुख लोगों से मशविरे के बाद इसका अंतिम ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। पिछले साल नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर धामी ने भी महिला नीति का जिक्र किया था।

शनिवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर कंडवाल ने उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि महिला नीति के ड्राफ्ट में आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा के साथ ही राजनैतिक-पेशेवर क्षेत्र में भी महिलाओं को सशक्त बनाने का सुझाव है। अंतिम निर्णय सरकार को करना है। कंडवाल ने बताया कि वे हफ्ते में चार दिन आयोग दफ्तर में बैठकर महिलाओं की शिकायतें सुन रही हैं। महिला उत्पीड़न की अनेक घटनाओं का आयोग स्वतः संज्ञान ले रहा है। दूरस्थ क्षेत्र की शिकायतें टेलीफोन से कहे जाने पर स्वीकार की जा रही हैं। प्रशासन की मदद से समाधान कराया जा रहा है। इस दौरान सदस्य सचिव उर्वशी चौहान, स्वाति, दयाराम मौजूद रहे।

मुफ्त कानूनी मदद: कुसुम ने बताया कि आयोग पीड़ित महिलाओं को निशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध करवा रहा है। 2023 में 46 महिलाओं को कानूनी मदद मुहैया कराई गई। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामलों की निगरानी के लिए प्रदेशभर में वर्कशॉप की गई हैं। साथ ही, महिला हेल्पलाइन को प्रभावी बनाने के लिए नियमित निगरानी की जा रही है।

505 घर टूटने से बचाए: अध्यक्ष ने दावा किया कि आयोग ने दो साल में 505 परिवारों का घर टूटने से बचाया। 2022-23 में आयोग ने पक्षकारों के बीच काउंसलिंग से 89, महिला हेल्पलाइन में 266 परिवारों को टूटने से बचाया। 2023-24 में आयोग ने पक्षकारों की काउंसलिंग से 77, महिला हेल्पलाइन में काउंसलिंग से 73 परिवारों को टूटने से बचाया और आपसी सुलह कराई।

अध्यक्ष कुसुम कंडवाल।

स्पा सेंटरों की गाइडलाइन भी तैयार

आयोग ने स्पा सेंटरों में गड़बड़ी मिलने के बाद सरकार को इनके संचालन से जुड़ी गाइडलाइन भी सौंपी है। कुसुम ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन, राजकीय महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास केंद्र, महिला थाना, जिला जेल में महिलाओं की स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है। बीते तीन साल में महिला उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, घरेलू विवाद समेत 4888 शिकायतें मिलीं, जिसमें से 3836 हल कीं।

महिला आयोग की अध्यक्ष ने घायल पुलिस महिलाकर्मियों की कुशलक्षेम पूछी, पीड़िताओं के छलके आँसू

हल्द्वानी ■ ब्यूरो

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने हल्द्वानी पहुँचकर कोतवाली के सभागार में घायल पुलिस महिला कर्मियों की कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान उन्होंने हिंसा के दौरान महिला पुलिस कर्मियों के साथ हुई बर्बरता के बारे में पूरी जानकारी ली। महिला पुलिस कर्मियों ने श्रीमती कंडवाल को बताया कि बीती 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी व आगजनी में उन्होंने अपनी जान बचाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि चारों ओर से नुकीले पत्थर आ रहे थे और साथ ही पेट्रोल बम से भी पथराव पर आगजनी की गई। कई घायल पुलिसकर्मी आज भी उसे मंजर को याद करते हुए सहम गई। इस दौरान नगर निगम कर्मचारी और पत्रकारों ने भी आप बीती सुनाई।

पूर्ण रूप से सुनियोजित थी घटना : कुसुम कंडवाल

इस दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि यह घटना पूर्ण रूप से सुनियोजित थी जिसमें महिला पुलिस कर्मियों, नगर निगम कर्मचारी, अधिकारियों व पत्रकारों को टारगेट बनाकर हमला किया था। इस हिंसा को फैलाने और आगजनी करने वालो को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि जिन महिलाओं द्वारा उपद्रव किया गया उन्हें भी चिन्हित किया जाना चाहिए तथा महिलाओं व बच्चों को हथियार बना कर जो अराजक तत्व धर्म की आड़ में देवभूमि को दूषित करने का काम कर रहे है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इस अवसर पर एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा, एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा, अपर निदेशक प्रशिक्षण निदेशालय हल्द्वानी ऋचा सिंह, सीओ सिटी, घटना के जांच अधिकारी सहित विभिन्न पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला आयोग अध्यक्ष ने जेल में जाना कैदियों का हालचाल

जेल परिसर का जायजा लेतीं महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल। स्रोत: सूचना विभाग

संवाद न्यूज एजेंसी

हरिद्वार। बुधवार को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने जिला कारागार रोशनाबाद में निरीक्षण किया। उन्होंने यहां कारागार के महिला बैरक में वर्तमान में 73 महिला कैदियों का हाल जाना। साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त देखकर संतोष जताया। महिला कैदियों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य को आवश्यक निर्देश दिए।

आयोग की चेयरमैन कुसुम कंडवाल ने महिला कैदियों को खाने-पीने के लिए दिया जाने वाला भोजन, चिकित्सकीय उपचार और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। महिला कैदियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका यहां आने का केवल एक ही उद्देश्य है कि वे महिला कैदियों की समस्याओं से रूबरू हो सकें और निवारण करा सकें। उन्होंने कैदी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निर्देशित किया।

कहा कि जेल में महिलाओं के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण और उन्हें व्यवसाय के उद्देश्य से कच्चा सामान दिया जाए। जिससे महिला कैदी के बनाए हुए सामान को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर बाजार तक पंहुचाया जा सके।

महिला कैदियों के छह वर्ष से कम के बच्चों को जेल में ही उचित शिक्षा व उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य, बाल विकास परियोजना अधिकारी सुलेखा सहगल, प्रभारी जेलर विकास चंद्रा आदि मौजूद रहे।

जेल परिसर का लिया जायजा व्यवस्थाएं दुरुस्त होने पर जताया संतोष

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में महिला आयोग सख्त

आयोग की अध्यक्ष ने एसपी देहात से फोन पर की वार्ता कड़ी कार्रवाई के निर्देश

VIKASNAGAR (7 Jan): सहसपुर थाना क्षेत्र की एक बस्ती में नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भपात मामले में महिला आयोग ने सख्त रवैया अपनाया है. महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने संज्ञान लेकर ने एसपी देहात देहरादून से फोन पर वार्ता करते मामले में आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया.

डरा धमकाकर दुष्कर्म

आयोग अध्यक्ष को मामले में जानकारी देते हुए एसपी देहात ने बताया कि उक्त आरोपित पहले से नाबालिग के संपर्क में था. उसके साथ दुष्कर्म के बाद उसने उसे गर्भपात की दवा दी. दवा खाने के बाद 3 जनवरी को 15 वर्षीय नाबालिग बालिका की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां पहुंचने पर जांच कर डॉक्टर ने बताया कि किसी युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई थी. उसने नाबालिग को गर्भपात की दवा खिला दी. जिससे उनका गर्भपात हो गया और तबियत बिगड़ गई है. मामले में जांच व जानकारी करने पर पता चला

कि युवक ने डरा धमकाकर नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया था. पुलिस द्वारा पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपित आजम मूल रूप से शेरकोट नजीबाबाद यूपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने, गर्भपात कराने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है.

जांच के लिए कहा

मामले में आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सभी तथ्यों की गहनता व गंभीरता से जांच के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस सख्ती से ऐसे क्षेत्रों में जहां बाहर से आकर लोग रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनकी जांच व सत्यापन समय समय पर लगातार करते रहना चाहिए, ताकि ऐसे बाहरी लोगों द्वारा कुकृत्य न किया जा सके.

For more news log on to www.inextlive.com/dehradun

किशोरियों के साथ घटित हो रही घटनाओं पर राज्य महिला आयोग हुआ सख्त

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

■ कुमाऊं हल्द्वानी में कार में किशोरी से छेड़छाड़ और गढ़वाल के डोईवाला में सामूहिक दुराचार का मामला

■ महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सीधे पुलिस अफसरों से ली तीनों मामलों की जानकारी

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने नावालिग किशोरियों के साथ हुई दो आपराधिक वारदातों का स्वयं संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों से नाराजगी जतायी है। देहरादून के डोईवाला व पिथौरागढ़ के धारचूला में घटित दो घटनाओं की जानकारी आने के वाद कंडवाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता की और उन्हें महिला व किशोरियों की सुरक्षा को सतर्कता के आदेश दिये।

देहरादून के डोईवाला में नावालिग के अपहरण व दुष्कर्म के एक मामले में आयोग की अध्यक्ष ने एसओ डोईवाला से फोन पर वार्ता करते हुए मामले में जानकारी ली। एसओ ने वताया की उक्त मामले में आरोपी ने पीड़िता को सोशल मीडिया एप इंस्टाग्राम से वातचीत कर उसे वहला फुसला कर साथ ले गया था, जिसके वाद उसने दुष्कर्म किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, पिथौरागढ़ के धारचूला निवासी दो वहनों के संदिग्ध परिस्थितियों में गायव होने के मामले में आयोग अध्यक्ष ने एसपी पिथौरागढ़ से दूरभाष से वार्ता के क्रम में जानकारी ली। जिसमें सामने आया कि उक्त घटना में आरोपी वहीं नाई का काम करता था जो कि गायव किशोरियों को वहला फुसला कर वरेली ले गया था। उसे वरेली से गिरफ्तार कर लिया गया व किशोरियों को वरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने दोनों प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिये निर्देशित किया है ताकि ऐसे अपराध करने वालों को सवक मिल सके। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो सभी नजदीकी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को इन मामलों के संवंध में जागरुक करें व सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव व पोक्सो अधिनियम से भी अवगत कराएं। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग नाम वदल कर व पहचान छुपाकर नावालिगों को सोशल मीडिया के माध्यम से वहला फुसला कर उनके साथ गलत कृत्य कर रहे हैं।

आयोग अध्यक्ष ने नैनीताल के हल्द्वानी में चलती कार में युवती से छेड़छाड़ की घटना का भी संज्ञान लिया है। वीती रात हल्द्वानी में चलती कार में 22 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ हुई थी। आयोग अध्यक्ष ने एसपी देहात से वार्ता करते हुए प्रकरण की जानकारी ली। एसपी देहात ने वताया कि उक्त मामले में किशोरी उनके साथ खुद उनकी कार की अगली सीट पर वैठी थी, वो उनके साथ देर राज तक कार में थी। युवती की गैंगरेप की शिकायत के अनुसार मामला दर्ज कर मेडिकल कराया गया है, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। उक्त मामले में पीड़िता के वयानों के आधार पर 354 में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है वाकी दो को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कंडवाल ने इस मामले में गंभीरता से जांच व कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं।

ऋषिकेश में शुक्रवार को बेटे,बहू और नाती ने 90 वर्ष से अधिक उम्र की वृद्ध महिला को मिलकर पीटा महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिए कार्यवाही के निर्देश दिए।

वृद्धा को देखने अस्पताल पहुंचीं कंडवाल

देहरादून। उत्तराखंड महिला आयोग ने नरेंद्रनगर के डौर गांव की 90 वर्षीय रोशनी देवी के साथ उनके बेटे, बहू और नाती की ओर से मारपीट किए जाने की घटना का संज्ञान लिया। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में भर्ती वृद्धा से मिलने पहुंचीं और उनका हाल जाना। इस दौरान उनका हाथ भी टूटा। उन्होंने एसएसपी टिहरी से दूरभाष पर वार्ता करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई को कहा।

महिलाओं को अधिकारों, कानून वित्तीय प्रबंधन की दी जानकारी

अमर उजाला ब्यूरो

कार्यक्रम को संबोधित करतीं महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल। संवाद

देहरादून। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा, प्रदेश में महिलाओं को उनके अधिकारों, कानून और वित्तीय प्रबंधन को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।

बुधवार को राज्य महिला आयोग ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निर्भय भारत सशक्त नारी विषय पर देहरादून स्थित एक रिजार्ट में एक दिवसीय महिला सशक्तीकरण, कानूनी व वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश हर्ष यादव ने महिलाओं से संबंधित कानूनी अधिकारों की जानकारी दी।

विनय गुप्ता ने महिलाओं को वित्तीय साक्षरता पर जानकारी देते हुए बताया, कैसे वह छोटे बजट में बड़े काम कर सकती हैं। बचत के साथ रोजगार शुरू करना व बैंक के सहयोग से कैसे स्वयं को सशक्त बनाया जा सकता है।

अधिवक्ता जाया ठाकुर ने महिलाओं को निर्भय होकर जीने, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण जैसे विषयों पर जागरूक किया।

मुख्य अतिथि विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ ने कहा, यदि महिलाएं संगठित होकर अपने अधिकारों और हक के लिए लड़ें तो निश्चित रूप से ही निर्भय भारत सशक्त नारी के इस नारे को सार्थक किया जा सकता है। कार्यक्रम में उज्जवल शिखर जन कल्याण समिति से विनय गुप्ता, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

संचालन कामिनी गुप्ता ने किया। इस मौके पर मीना बिष्ट, अंजना गुप्ता, दयाराम सिंह, अर्चना बागड़ी, अनुराधा वालिया, पुष्पा बर्थवाल, शोभा रावत, अंजू ध्यानी, सुषमा कुकरेती, डॉ. दिव्या नेगी घई आदि मौजूद रहे।

महिला नीति को अंतिम रूप दे रहे विशेषज्ञ

देहरादून, कार्यालय संवाददाता। उत्तराखंड महिला नीति को अंतिम रूप देने लिए महिला आयोग के नेतृत्व में सोमवार को सिविल सेवा संस्थान देहरादून में विभिन्न विभागों के साथ दो दिवसीय बैठक की शुरुआत की गई। जिसमें विशेषज्ञों ने महिला नीति को लेकर आए महत्वपूर्ण सुझावों को लेकर विस्तार से चर्चा की। महिला आयोग के नेतृत्व में दिसम्बर 2022 में इस नीति का दूसरा ड्राफ्ट तैयार होने के बाद महिला आयोग ने महिला नीति में राज्य की महिलाओं के सुझाव के लिए दो माह का समय निर्धारित किया था। इस दौरान आयोग को कई सुझाव प्राप्त हुए थे। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पहले दिन काफी अहम सुझाव विशेषज्ञों ने दिए हैं, साथ ही पूर्व में आयोग को महिला नीति को लेकर मिले सुझावों को भी विशेषज्ञों के सामने रखा। मौके पर सीपीपीजीजी के एसीईओ डॉ. मनोज कुमार पन्त, सचिव कामिनी गुप्ता, स्वागता कैंथोला, कुमार राजेश, दून विवि की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपने विचार रखे।

महिलाओं को सही पोषण व सही आहार जरूरी

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : महिला सशक्तीकरण व बाल विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रदर्शनी में महिलाओं को सही पोषण के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए सही पोषण व सही आहार जरूरी है।

गर्भवती की गोदभराई करतीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल● जागरण

यमकेश्वर के लक्ष्मणझूला प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि आज हम जिस प्राकृतिक व पारंपरिक भोजन से दूर होते जा रहे हैं वही हमें सही पोषण देता है। इसके लिए हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हुए प्राचीन, पारंपरिक व मोटे अनाज के भोजन से जुड़े रहना होगा। हमें अपने भोजन आहार में अपनी संस्कृति के पारंपरिक अनाज को शामिल करना होगा। आयोग की अध्यक्ष ने कार्यक्रम में पहुंची गर्भवती महिलाओं को फूलमाला पहनाकर उनकी गोदभराई की। साथ ही सरकार द्वारा प्राप्त उत्तम पोषण किट प्रदान की तथा पोषण प्रदर्शनी में पोषण युक्त आहार व सब्जियों का प्रदर्शन कर रहे बच्चों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में डा. पूनम ने सामान्य कमजोरी से बचने के उपाय व उत्तम डाइट प्लान की जानकारी दी। साइबर अपराध से बचने के लिए उप निरीक्षक मनोहर सिंह रावत ने जागरूक किया। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी अंजू डबराल गौड़, वार्ड सदस्य पिंकी, खंड शिक्षा अधिकारी, शंकुल प्रभारी मनोहर जोशी, विनीता नौटियाल, अरविंद नेगी, शकुंतला तड़ियाल, पूजा आर्या मौजूद थे।

स्पा सेंटरों में देह व्यापार, 13 युवतियों को मुक्त कराया

- एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, पुलिस और राज्य महिला आयोग की टीम ने तीन स्पा सेंटरों में संयुक्त रूप से दी दबिश
- नेपाल, सिक्किम, सिलीगुड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, हरिद्वार और देहरादून की रहने वाली हैं मुक्त कराई गई युवतियां

जागरण संवाददाता, देहरादून: पुलिस की नाक के नीचे शहर के बीच स्पा सेंटरों में देह व्यापार चल रहा है। सोमवार को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, पटेलनगर कोतवाली पुलिस और राज्य महिला आयोग की टीम ने संयुक्त रूप से तीन स्पा सेंटरों पर दबिश दी तो वहां पर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। इस दौरान वहां काम करने वाली 13 युवतियों को मुक्त कराया गया। इनमें दो स्पा सेंटर का मालिक एक ही व्यक्ति निकला। हालांकि, मौके से पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस इन स्पा सेंटरों के मालिकों को तलाश रही है।

महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के अनुसार, ह्यूमन राइट काउंसिल (एनजीओ) को पटेलनगर स्थित स्पा सेंटरों में देह व्यापार की सूचना मिली थी। इस पर आयोग की अध्यक्ष निरीक्षण के लिए पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचीं। इस दौरान तीन स्पा सेंटरों में मसाज के नाम पर देह व्यापार होता पाया गया। मौके इन स्पा सेंटरों में से 13 युवतियों को मुक्त कराया गया। इनमें से दो के नाबालिग होने की संभावना है।

मुक्त कराई गईं युवतियों से पूछताछ की जा रही है। मुक्त कराई गईं युवतियां नेपाल, सिक्किम, सिलीगुड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, हरिद्वार और देहरादून की रहने वाली हैं। इन युवतियों के पास स्पा या फिजियोथेरेपी के प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र नहीं है। एक स्पा सेंटर में अनैतिक सामान भी पाया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है।

इस मौके पर राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव कामिनी गुप्ता, आयोग की उप निरीक्षक संगीता नौटियाल, ह्यूमन राइट काउंसिल संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र व उनकी टीम, पटेलनगर कोतवाली के बाजार चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम शामिल रही।

पटेलनगर स्थित एक स्पा सेंटर में दबिश देकर मुक्त कराई गई युवतियां ● जागरण

दो स्पा सेंटरों का मालिक एक

निरीक्षण टीम ने स्पा सेंटर में मौजूद दस्तावेजों और बरामद समान को भी जब्त किया है। इस दौरान जानकारी मिली है की इनमें से दो स्पा सेंटरो का मालिक एक ही है। अब पुलिस मालिक की तलाश कर रही है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि अभी हाल ही में आयोग ने प्रत्येक जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए प्रशिक्षण दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग मानव तस्करी व महिलाओं से देह व्यापार रोकने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है।

महिला कर्मियों के शोषण की जांच कमेटी करे : कंडवाल

महिला आयोग ने किया मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का स्वागत

माई सिटी रिपोर्टर

देहरादून। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का स्वागत किया है। महिला आयोग का कहना है कि पीड़ित महिलाएं खुलकर शोषण का विरोध करें और सभी विभागों में बनी आईसीसी कमेटी महिला कर्मचारियों के शोषण की शिकायतों का समाधान करें। अन्यथा विभागों के अधिकारियों को तलब किया जाएगा।

आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से बनाए जा रहे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही इन उत्पादों की अच्छी बिक्री होगी। त्योहारों पर विशेष सामान महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा है। ऐसे में सभी लोग इन समूहों की ओर से बनाए जा रहे उत्पादों को जरूर खरीदें।

डीएम करें निगरानी सभी विभागों में आईसीसी कमेटी बनी या नहीं

अध्यक्ष ने कहा, कोई भी महिला अपने ऊपर होने वाले शोषण को सहन न करें, अपनी बात खुलकर रखें। आयोग महिलाओं के साथ निष्पक्षता के साथ खड़ा है। अक्सर आयोग को महिला कर्मचारियों की शिकायत मिलती है कि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है या उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे में सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में इस बात की निगरानी भी करें कि सभी विभागों में आईसीसी कमेटी बनी हो। नहीं तो अधिकारियों को तलब किया जाएगा। शोषण की शिकायत का समाधान निष्पक्षता से करें। महिलाएं राज्य महिला आयोग के नंबर 8126774374 या women.commission.uk@gmail.com पर भी शिकायत भेज सकती हैं।

अध्यक्ष ने महिलाओं के साथ किया तांदी नृत्य

चकराता। उत्तराखंड जनजाति आयोग की अध्यक्ष लीलावती राणा शिवनगरी लाखामंडल पहुंची। उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन कर माथा टेका। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने आयोग की अध्यक्ष को प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। उत्तराखंड जनजाति आयोग की अध्यक्ष ने लाखामंडल में आश्रम पद्धति स्कूल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने यहां पेयजल विभाग से बने हुए गेस्ट हाउस का भी जायजा लिया। अध्यक्ष ने ग्रामीणों महिलाओं के साथ स्थानीय लोक संस्कृति में तांदी नृत्य किया। इस दौरान एसटी आयोग के सदस्य सुरेंद्र राणा, भाजपा नेता शुरवीर डोभाल, कंवासी मंडल भाजपा उपाध्यक्ष बचना शर्मा, ग्राम प्रधान त्रेपन राणा, क्षेत्र पंचायत सदस्य लाखामंडल ऊषा वर्मा, ओमप्रकाश आदि मौजूद रहे। संवाद

महिला सुरक्षा को आंतरिक कमेटी बनाने के निर्देश

महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने किया हिमाद्री हंस हैंडलूम उद्योग का निरीक्षण

अल्मोड़ा। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साह मिश्रा ने हिमाद्री हंस हैंडलूम उद्योग डीनापानी का निरीक्षण किया। इस दौरान महिला अधिकारों की सुरक्षा को लेकर विशाखा गाइडलाइन के अनुसार आंतरिक कमेटी बनाने के निर्देश दिए।

शनिवार को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साह मिश्रा ने हिमाद्री हंस हैंडलूम उद्योग का निरीक्षण किया। इस दौरान जानकारी लेने पर पता चला कि वहां महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए आंतरिक कमेटी का गठन नहीं किया गया है। जिस पर उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजशेखर को विशाखा गाइड लाइन के अनुसार जल्द कमेटी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कमेटी हर तीन महीने में बैठक करें। समिति में एक आपकी संस्था से हटकर महिला अधिकारों में काम करने वाले व्यक्ति को शामिल करें। समय समय पर समस्याएं सुनें और उनका समाधान भी करें।

इसके बाद उपाध्यक्ष ने वहां काम कर रही थी 180 महिलाओं से बातचीत की तथा उनकी समस्याएं पूछी। उन्होंने कार्यस्थल पर जाकर महिला को कताई-बुनाई करते हुए देखा और उनको प्रोत्साहित किया। राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष ज्योति ने मौके पर सरकार के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने और सशक्त करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। जिसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कोई भी समस्या आए तो उसके लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं, हर संभव मदद की जाएगी।

हिमाद्री हंस हैंडलूम उद्योग का निरीक्षण करतीं महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साह मिश्रा

स्पा सेंटरों और मसाज पार्लरों पर कसेगा शिंकजा

महिला आयोग की बोर्ड बैठक में हुआ फैसला

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। प्रदेश में स्पा सेंटरों और मसाज पार्लरों पर शिकंजा कसने के लिए जल्द नियमावली बनेगी। राज्य महिला आयोग की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी।

आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला नीति सहित कुछ अन्य प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया गया। आयोग कार्यालय में बोर्ड बैठक वर्ष 2023-24 की पहली बैठक हुई। इसमें आयोग की अध्यक्ष ने कहा, महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द सरकार को सौंपा जाएगा। बैठक में विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी कार्य स्थलों पर महिलाओं की शिकायतों के लिए यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के लिए कमेटी गठित करने, राज्य के सभी 13 जिलों में विभिन्न स्थानों में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजित करने, महिलाओं को विभिन्न मुद्दों पर कानूनी सहायता व कानूनी जानकारी देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में तय हुआ कि इन्हें शासन स्तर पर उठाया जाएगा। इस दौरान आयोग की सदस्य-सचिव कामिनी गुप्ता, विधि-अधिकारी दयाराम सिंह मौजूद रहे।

दून में महिला आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचीं सीएम पुष्कर धामी की पत्नी, महिलाओं को आगे बढ़ाने का आह्वान

महिलाओं के बनाए उत्पादों को मंच देने के लिए होंगे कार्यक्रम : गीता

आयोजन

देहरादून, कार्यालय संवाददाता। राज्य भर में महिलाओं के बनाए उत्पादों को मंच देने के लिए ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम किए जाएंगे। देहरादून में महिला आयोग की ओर से गुरुवार शाम को आयोजित तीजोत्सव एवं महिला मिलन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी की पत्नी गीता धामी ने यह बात कही। उन्होंने महिलाओं को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया।

बल्लीवाला चौक स्थित एक पैलेस में उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं स्थानीय उत्पादों, हथकरघा के क्षेत्र में शानदार काम कर रही हैं। सबको उनका सहयोग करना चाहिए। क्योंकि वह त्याग कर परिवार एवं समाज को बढ़ाती हैं। सरकार लगातार उनके लिए योजनाएं चला रही है। महिलाएं प्लेटफॉर्म नहीं मिलने को लेकर परेशान हैं, उन्हें हॉल ही में कई महिलाओं ने बताया। सरकार रक्षाबंधन से पहले ही ब्लॉक स्तरीय मेले आयोजित करने जा रही है, जहां उनके उत्पादों को शानदार मंच मिलेगा। ऐसी जगह भी चिन्हित की जा रही है, जहां महिलाएं अपने उत्पाद बेच सकेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी एवं सीएम पुष्कर सिंह धामी महिलाओं के उत्थान को चिंचित रहते हैं, लगातार उनके लिए फैसले ले रहे हैं। गीता ने आगे कहा कि दूरदराज के गांव की महिलाओं को भी सहयोग किया जाएगा। संस्कृति और संस्कार में परिवार के साथ नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सभी का आभार जताया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना, दून विवि की कुलपति सुरेखा डंगवाल, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की पत्नी सुमन उनियाल, मंत्री धन सिंह रावत की दीपा रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा की पत्नी शोभा उनियाल, कामिनी गुप्ता मौजूद रहीं। जबकि, संचालन अनुराधा वालिया ने किया।

दून में गुरुवार को महिला आयोग के तीजोत्सव में सीएम पुष्कर धामी की पत्नी गीता धामी ने विजेताओं को नवाजा। ● हिन्दुस्तान

इनको मिला पुरस्कार

- 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग में तीज क्वीन सुषमा पायल, द्वितीय स्थान पर सरिता लिंगवाल और तृतीय स्थान पर पूजा सिंह रही।
- 36 से 60 वर्ष आयु वर्ग में तीज क्वीन अल्पना शर्मा बनी। द्वितीय स्थान पर माधुरी गुप्ता, तृतीय स्थान पर अंजू ध्यानी रही।
- नृत्य प्रतियोगिता में कामिनी गुप्ता प्रथम, अंशिका शर्मा द्वितीय और अंजू तृतीय स्थान पर रही।

महिलाओं के सामाजिक उन्नयन पर जोर

कार्यशाला

- उत्तराखंड महिला नीति के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञों ने दिए सुझाव
- उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की ओर से आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला संपन्न
- शीघ्र ड्राफ्ट तैयार करने का लक्ष्य, सरकार की मंजूरी के बाद कैबिनेट में रखा जाएगा

जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड महिला नीति के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञों ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उन्नयन पर विशेष जोर दिया। सभी ने इस पर सुझाव दिए व इस ड्राफ्ट को अगस्त से पहले जारी करने पर सहमति जताई।

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की ओर से ओल्ड मसूरी रोड स्थित सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट (सीएसआर) में दो दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, पुलिस, शिक्षा, पंचायतीराज, एनआरएलएम समेत विभिन्न विभाग, सामाजिक संगठन व विशेषज्ञ जुटे। सभी ने महिला नीति पर बनने जा रहे ड्राफ्ट पर विचार रखे व सुझाव भी दिए। सेंटर फार पब्लिक पालिसी एंड गुड गवर्नेंस (सीपीपीजीजी) के विशेषज्ञ कुमार राजेश ने कहा कि महिलाओं के समुचित स्वास्थ्य पर सरकार को कार्य करना है। रोजगार में महिलाओं की सहभागिता, डिजिटल इकानामी समेत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने, ट्रांसजेंडर के लिए सुरक्षित व विकासपरक माहौल बनाने, हर क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, सरकारी पालिसी में उन्हें समावेशी बनाने, महिलाओं के समूहों को आगे बढ़ाने आदि पर सुझाव आए। एडवोकेट भावना जोशी ने ट्रांसजेंडर को लेकर छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ट्रांसजेंडर पुलिस में भी हैं। उत्तराखंड में उनकी स्थिति, सरकारी नौकरी, मूलभूत आवश्यकता को जानना जरूरी है। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा के साथ सशक्त व सुरक्षा अहम है। ऐसे में इस ओर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। मंजू ढौंडियाल ने महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त व आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार आदि को ड्राफ्ट में मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगस्त से पहले इसे तैयार किया जाने का लक्ष्य रखा गया है।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव हरि चंद्र सेमवाल ने कहा कि महिला नीति के लिए बनने जा रहे ड्राफ्ट में हर पहलु को ध्यान में रखा जा रहा है। सरकार की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। बैठक में एसपी देहात कमलेश उपाध्याय, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, महिला आयोग की सदस्य सचिव कामिनी गुप्ता, पहल संस्था से कमला पंत, शिक्षिका मधु थपलियाल, पूनम पाठक, मनोज पंत आदि रहे।

देहरादून की और भी खबरें पढ़ें www.jagran.com

अब हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहीं महिलाएं : ज्योति

पीजी कॉलेज में महिला आयोग उपाध्यक्ष ने किया सैनिटरी पैड मशीन का उद्घाटन

संवाद न्यूज एजेंसी

रानीखेत (अल्मोड़ा)। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तीन दिनी ग्रीष्मकालीन उत्सव 'आरंभ' का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। इसकी मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साह मिश्रा ने नारी शिक्षा और लैंगिक समानता पर जोर दिया।

कहा कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्र में महिलाओं की लगातार उन्नति हो रही है। ऐसे कार्यक्रमों से छात्र-छात्राओं की प्रतिभा दिखती है। महाविद्यालय में सैनिटरी नैपकिन पैड मशीन का उद्घाटन कर उन्होंने महिला सशक्तीकरण, घरेलू हिंसा, महिला उपराध, गौरा शक्ति एप के बारे में भी बताया। वाणिज्य विभाग के इस आयोजन का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर पुष्पेश पांडे ने किया।

सेनेटरी पैड मशीन का उद्घाटन करतीं राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष। संवाद

तीन दिनी उत्सव में नृत्य, एकल गायन, काव्य पाठ, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताएं भी हुईं। वाणिज्य विभाग के छात्र दीपक भट्ट और गौरव जोशी के संयोजन में वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता हुई। इसके प्रतिभागी छात्र-छात्राओं ने महाविद्यालय की चहारदीवारी पर पेंटिंग की। इसके निर्णायक बिड़ला स्कूल के एस चौधरी रहे।

दूसरे सत्र का शुभारंभ चिलियानौला की नगर पालिका अध्यक्ष कल्पना आर्य और प्राचार्य प्रो. पुष्पेश पांडे ने किया। यहां डॉ. प्राची जोशी, डॉ. दीपा पांडेय, डॉ. रश्मि रौतेला, डॉ. रूपा आर्य, छात्रसंघ अध्यक्ष राहुल, उपाध्यक्ष नताशा बिष्ट आदि मौजूद रहे।

महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल पहुंची कोतवाली

लापता हुई बालिकाओं और महिला को जल्द से जल्द तलाश करने के दिए निर्देश

स्वतंत्र चेतना

ऋषिकेश। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ऋषिकेश क्षेत्र से लापता हुई दो बालिकाओं और एक महिला के संबंध में काफी गंभीर नजर आ रही है।

कुसुम कंडवाल ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को लापता हुई बालिकाओं और महिला को जल्द से जल्द तलाश करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल आज ऋषिकेश कोतवाली पहुंची।

कुसुम कंडवाल ने कोतवाल खुशीराम पांडे और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कुसुम कंडवाल ने कोतवाल से पूछा कि आखिरकार क्या वजह है कि ऋषिकेश क्षेत्र से लापता हुई दो बालिकाओं और एक महिला का गुम होने के बाद से अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। लापता बालिकाओं और महिला के परिजन महिला आयोग का दरवाजा लगातार खटखटा रहे हैं। पुलिस पर लापरवाही पर रखने का आरोप लगाकर नाराजगी भी जाता रहे हैं।

ऐसे में मजबूरी वश उनको कोतवाली में आकर पुलिस से सवाल जवाब करने पड़ रहे हैं। कुसुम कंडवाल ने बताया कि कोतवाल ने लापता पालिकाओं और महिला को जल्दी ही तलाश कर वापस लाने का भरोसा दिया है।

महिला आयोग के सहयोग से 24 दिन से लापता महिला बरामद

सहारा न्यूज ब्यूरो

ऋषिकेश।

गुमनीवाला की एक विवाहित महिला के 11 सितंबर 2023 को अचानक गायब होने का मामला सामने आने पर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट कराई थी। परिजनों ने पड़ोस की एक महिला पर आरोप लगाया था कि वह उक्त विवाहित महिला को बहला फुसला कर कहीं ले गई है। जिस पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी।

महिला की जानकारी न मिलने पर परिजनों ने उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल से मुलाकात कर मामले की जानकारी दी। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कोतवाली ऋषिकेश पहुंचकर सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को भी उक्त महिला की खोज के लिए सक्रिय किया। जिस पर कुछ दिन बाद महिला की लोकेशन ट्रेस कर गोंडा से रेस्क्यू कर लिया गया। इसको लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पुलिस के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में ऐसे मामले बढ़ने लगे हैं, जिस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इसलिए पुलिस को ऐसे प्रकरणों में तत्काल जांच व कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मामले में एसओ ऋषिकेश को गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोस की महिला की उक्त महिला को बहला फुसला कर इतनी दूर तक क्यों ले गई थी। इसके पीछे महिला क्या उद्देश्य हो सकता है, इसकी जांच व मामलें को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

कोतवाल से वार्ता करती आयोग की अध्यक्ष।

स्पा सेंटरों के लिए नियमावली शीघ्र बनाने को प्रस्ताव पारित

जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की बोर्ड बैठक में राज्य में संचालित स्पा सेंटरों व मसाज पार्लरों की नियमावली शीघ्र बनाने, राज्य महिला नीति को पूरी तरह तैयार करने और सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी गठित करने समेत अन्य प्रस्ताव पारित किए गए।

शनिवार को नंदा की चौकी स्थित राज्य महिला आयोग मुख्यालय में अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में त्रैमासिक व इस वर्ष की प्रथम बोर्ड बैठक हुई। जिसमें उपाध्यक्ष ज्योति साह मिश्रा, शायरा बानो ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। राज्य की महिला नीति पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि इसे जल्द पूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा।

बैठक में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी कार्य स्थलों पर महिलाओं की शिकायत के लिए सेक्सुअल हरासमेंट ट कमेटी गठित करने, महिलाओं को सशक्त व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सभी जिलों में विभिन्न स्थानों में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने, महिलाओं को विभिन्न मुद्दों पर लीगल सहायता व कानूनी जानकारी देने के प्रस्ताव भी पारित किए गए। इसके अलावा बैठक में आयोग की ओर से आगामी महीने में चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। बैठक में पारित प्रस्ताव को शासन स्तर पर पत्राचार किया जाएगा। बैठक में आयोग की सदस्य-सचिव कामिनी गुप्ता, विधि अधिकारी दयाराम सिंह, अशोक कुमार तोमर आदि मौजूद रहे।

राज्य महिला आयोग के मुख्यालय में बैठक लेतीं आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल व साथ मे उपाध्यक्ष सायरा बानो व ज्योति साह मिश्रा तथा सदस्य सचिव ● सभार- आयोग

मानव तस्करी रोकने को सीमावर्ती गांवों में आयोग चलाएगा अभियान

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि सीमा क्षेत्र में मानव तस्करी के मामले सबसे ज्यादा आते है। वहां की महिलाओं को सशक्त करने व उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आयोग इसी महीने सीमा क्षेत्र के गांवों में अभियान चलाएगा। इसके लिए चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत के जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि वह भी अपने स्तर पर इस ओर महिलाओं को जागरूक करे। जल्द ही आयोग अभियान की तिथि घोषित करेगा।

संस्कृति को बचाने के लिए सांस्कृतिक आयोजन जरूरी

- प्रतीतनगर के होशियारी माता मंदिर में आयोजित हुई श्रीकृष्ण लीला

सहारा न्यूज ब्यूरो

रायवाला।

श्रीकृष्ण लीला में उपस्थित महिला आयोग की अध्यक्ष।

…समापन 25 सितंबर को किया जाएगा।

महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिलाएं आज के समय में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ऐसे आयोजन होना जरूरी हैं, जिसमें लोग एकत्रित होकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं।

बजट

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु विभिन्न मदों में आय व्ययक के विवरण

क्र0सं0	अनु0 संख्या	लेखाशीर्षक	मद का नाम	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष/ समर्पित धनराशि
1	15	2235-02-103-10-00	02-मजदूरी	1500000.00	813900.00	686100.00
2	15	2235-02-103-10-00	04-यात्रा व्यय	500000.00	186596.00	313404.00
3	15	2235-02-103-10-00	07-मानदेय	5900000.00	2725698.00	3174302.00
4	15	2235-02-103-10-00	08-पारिश्रमिक	3500000.00	3225655.00	274345.00
5	15	2235-02-103-10-00	09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50000.00	0	50000.00
6	15	2235-02-103-10-00	20- लेखन सामग्री एवं छपाई	300000.00	299986.00	14.00
7	15	2235-02-103-10-00	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100000.00	99526.00	474.00
8	15	2235-02-103-10-00	22-कार्यालय व्यय	200000.00	199527.00	473.00
9	15	2235-02-103-10-00	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	400000.00	399583.00	417.00
10	15	2235-02-103-10-00	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर, सोफ्टवेयर व अनुरक्षण	150000.00	149998.00	2.00
11	15	2235-02-103-10-00	27-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50000.00	16585.00	33415.00
12	15	2235-02-103-10-00	29- गाडियों के संचालन, अनुरक्षण एवं ईधन आदि की खरीद	300000.00	164026.00	135974.00
13	15	2235-02-103-10-00	30- अतिथि व्यय	200000.00	67142.00	132858.00
14	15	2235-02-103-10-00	40-मशीन साज सज्जा एवं संयंत्र	50000.00	49995.00	5.00
15	15	2235-02-103-10-00	42-अन्य विभागीय व्यय	350000.00	251580.00	98420.00
योग				13550000.00	8649797.00	4900203.00

जब-जब नारी समृद्ध हुई, तब-तब समाज सशक्त हुआ
सशक्त नारी - समृद्ध नारी

महत्वपूर्ण अधिनियम

- दहेज प्रतिशेध अधिनियम 1961
- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
- मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961
- बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006
- लिंग चयन प्रतिशेध अधिनियम 1994
- कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न अधिनियम 2013
- लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012

पिछले दस वर्षों में प्राप्त शिकायतें

वर्ष	शिकायत
2014	1252
2015	1412
2016	1532
2017	1603
2018	1474

वर्ष	शिकायत
2019	1455
2020	1731
2021	1580
2022	1947
2023	1769

आयोग द्वारा चार वर्षों के अन्तराल में महिलाओं को मा. न्यायालय में पैरवी हेतु निम्नवत निःशुल्क अधिवक्ता दिलवाये गये हैं।

वर्ष	संख्या
2021	12
2022	13

वर्ष	संख्या
2023	10
2024	07

शपथ

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ किः–

1. समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव सहन नहीं करूँगा/करूँगी।
2. लड़कियों और महिलाओं का सदा सम्मान करूँगा/करूँगी।
3. हम बालक/बालिकाओं को समान शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे।
4. अपने आस–पास हो रहे किसी भी तरह के उत्पीड़न व हिंसा के विरूद्ध एकजुट होकर आवाजउठाऊँगा/उठाऊँगी।
5. समाज में दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराईयों के विरूद्ध लोगों को जागरूक करूँगा/करूँगी।
6. अपने स्वयं के विरूद्ध होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा पर चुप नही रहूँगा/रहूँगी।
7. हम सब 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की शादी नहीं होने देंगे, यदि कहीं भी नाबालिक की शादी होते हुए पायेंगे, तो उसके विरूद्ध आवाज उठाऊँगा/उठाऊँगी।
8. हम सब मिलकर अपने प्रदेश व राष्ट्र को विकसित करने के लिए सदा तैयार रहेंगे।

एक मिनट में कुछ नहीं बदलता,
किन्तु एक मिनट में लिया गया फैसला
बहुत कुछ बदल सकता है।

चुप्पी तोड़ें, खुलकर बोलें

जनपदवार पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सम्पर्क सूत्र

जनपद	पदनाम	दूरभाष / मोबाईल	ई–मेल
अल्मोडा	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	9411112790 05962–230007	**sp-alm-ua@nic.in**
बागेश्वर	पुलिस अधीक्षक	9411111952, 05963–220382	**cctnsbag@gmail.com**
चमोली	पुलिस अधीक्षक	9411112722, 01372–252134	**sp-cha-ua@nic.in**
चम्पावत	पुलिस अधीक्षक	9411112707, 05965–230276	**cctnscpt@gmail.com**
देहरादून	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	9411112706, 0135–2716209 / 03	**doonpolice@yahoo.com**
हरिद्वार	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	9411112987, 01334–239777 239109	**mediacellhdr@gmail.com**
नैनीताल	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	9411112712 05942–235730,	**ssp-nai-ua@nic.in**
पौड़ी गढवाल	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	9411112081, 01368–222254	**sppaurigarhwal@gmail.com**
पिथौरागढ	पुलिस अधीक्षक	9411112082, 05967–225539	**cctnspth@gmail.com**
रूद्रप्रयाग	पुलिस अधीक्षक	9411112699, 01364–233387	**sprudpg@gmail.com**
टिहरी गढवाल	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	9411114544, 01376–232162	**sp-teh-ua@nic.in**
ऊधमसिंह नगर	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	9411112 711, 05944–250169	**cctnsudn@gmail.com**
उत्तरकाशी	पुलिस अधीक्षक	9411112733, 01374–222116	**spdcrbuki@gmail.com**
महिला थाना	श्रीनगर गढ़वाल	9411112854	*mps.snr-uk@uttarakhandpolice.uk.gov.in*
महिला थाना	अल्मोड़ा	9411112885	**mthalm777@gmail.com**

महिला आयोग का मुख्य विचार, नारी न सहे अत्याचार

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग के सम्पर्क सूत्र

अध्यक्ष	सदस्य-सचिव	विधि-अधिकारी
श्रीमती कुसुम कण्डवाल	श्रीमती उर्वशी चौहान	श्री दयाराम सिंह
9412972901	9837418073	9412985112
देहरादून	देहरादून	देहरादून

आयोग कार्यालय का सम्पर्क सूत्र : 8126774374

श्री आधार वर्मा (वैयक्तिक सहायक, मा. अध्यक्ष) : 9557433270

आयोग में कार्यरत कार्मिक

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	श्री नारायण सिंह तोमर	प्रशासनिक अधिकारी
2	श्रीमती स्वाति चमोली	उप-निरीक्षक पुलिस (सम्बद्ध)
3	श्री विरेन्द्र सिंह रावत	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर
4	श्रीमती अंजली मलेठा	आशुलिपिक
5	श्रीमती शानू रावत	कनिष्ठ सहायक
6	श्रीमती रीना बिजल्वाण	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर
7	श्री सूरज सिंह रावत	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर
8	श्री राजेन्द्र प्रसाद रतूड़ी	वाहन-चालक
9	श्री दिनेश कुमार	अनुसेवक
10	श्री दयाल सिंह राणा	अनुसेवक
11	श्री श्रवण सिंह नेगी	अनुसेवक

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग के माननीय सदस्यगणो के नाम व नंबर

क्र.सं.	नाम	नंबर
1	श्री रचना जोशी (पिथौरागढ़)	9012222022
2	श्रीमती विजया रावत (जोशीमठ, चमोली)	9634173172
3	श्रीमती कमलजीत कौर (उधमसिंहनगर)	9012788981
4	श्रीमती सरोज बहुगुणा (टिहरी)	7895267172
5	श्रीमती बत्सला सती (चमोली)	7895099994
6	श्रीमती रेनुका पाण्डे (ऋषिकेश, देहरादून)	8057754851
7	श्रीमती विमला नैथानी (देहरादून)	9897515603
8	श्रीमती कमला जोशी (हरिद्वार)	9758265133
9	श्रीमती कंचन कश्यप (हरिद्वार, नैनीताल)	9897470745
10	श्रीमती दर्शनी पंवार (ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग)	9627437730
11	श्रीमती किरण देवी (टनकपुर, चम्पावत)	8979989942
12	श्रीमती वैशाली नरूला (देहरादून)	9891273283

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

मातृशक्ति के सशक्तिकरण, उत्थान एवं उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु समर्पित

राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण, उत्थान एवं उनके अधिकारों के संरक्षण व जागरूकता हेतु आयोग द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य

1. राज्य की महिलाओं को उत्पीड़न के विरूद्व जागरूकता पर आधारित नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर जन सामान्य को जागरूक किया गया।
2. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर **National Parliament For Women** कार्यक्रम के आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।
3. राज्य की महिलाओं के सर्वांगीण विकास व सशक्तिकरण हेतु राज्य महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसके लिये विभिन्न माध्यमों से सुझाव भी आमंत्रित किये गए।
4. राज्य में मानव–तस्करी, यौन उत्पीड़न एवं देह–व्यापार जैसे अपराधों के निवारण व जागरूकता हेतु राज्य के सभी जनपदों में बैठकों व कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
5. उत्तराखण्ड में संचालित स्पा सैण्टर एवं मसाज पार्लर का समय–समय पर निरीक्षण कर उक्त से सम्बन्धित नियमावली बनाये जाने हेतु शासन स्तर पर पत्राचार किया गया।
6. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम–2005 एवं कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न (रोकथाम निशेध व निवारण) अधिनियम 2013 के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया।
7. मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों तथा किशोर न्याय प्रणाली सुदृढ़ीकरण, पोक्सो अधिनियम इत्यादि में प्रतिभाग किया गया।
8. समय–समय पर वन स्टॉप सैण्टर, नारी–निकेतन, राजकीय महिला एवं बाल कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, थानों इत्यादि का निरीक्षण किया गया।
9. राज्य में संचालित समस्त महिला थाना/महिला हैल्प डैस्क की बेहतर कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता हेतु सेमिनार का आयोजन कराया गया।
10. **World Menstrual Hygiene Day** के उपलक्ष्य में महिलाओं व किशोरियों हेतु ''महावारी स्वच्छता'' पर हैल्थ कैम्प का आयोजन कराया गया।
11. महिलाओं की सहायता हेतु शासन/प्रशासन/विभागीय अधिकारियों से त्वरित कार्यवाही करने हेतु समन्वय स्थापित किया जाता है।
12. राज्य में महिला खिलाड़ियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु खेल सेमिनार का आयोजन कराया गया।
13. महिला सम्बंधी किसी भी घटना पर आवश्यक्तानुसार मौके पर पहुँच कर त्वरित संज्ञान लिया गया।
14. युवक–युवतियों को विवाह से पूर्व काउंसलिंग हेतु जागरूक किया जाता है।
15. पीड़िताओं को आवश्यक्तानुसार निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है।

उर्वशी चौहान
सदस्य सचिव

निकट – नन्दा की चौकी, सुद्दोवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)–248001 8126774374
वेबसाईट - www.ukscw.org.in | ई-मेल. - women.commission.uk@gmail.com | @scw4uk @scw4uk @scw4uk

कुसुम कण्डवाल
अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग